ग्राम शिक्षा समिति प्रशिक्षण मॉड्यूल

ले मशालें चल पड़े हैं
लोग मेरे गाँव के .....

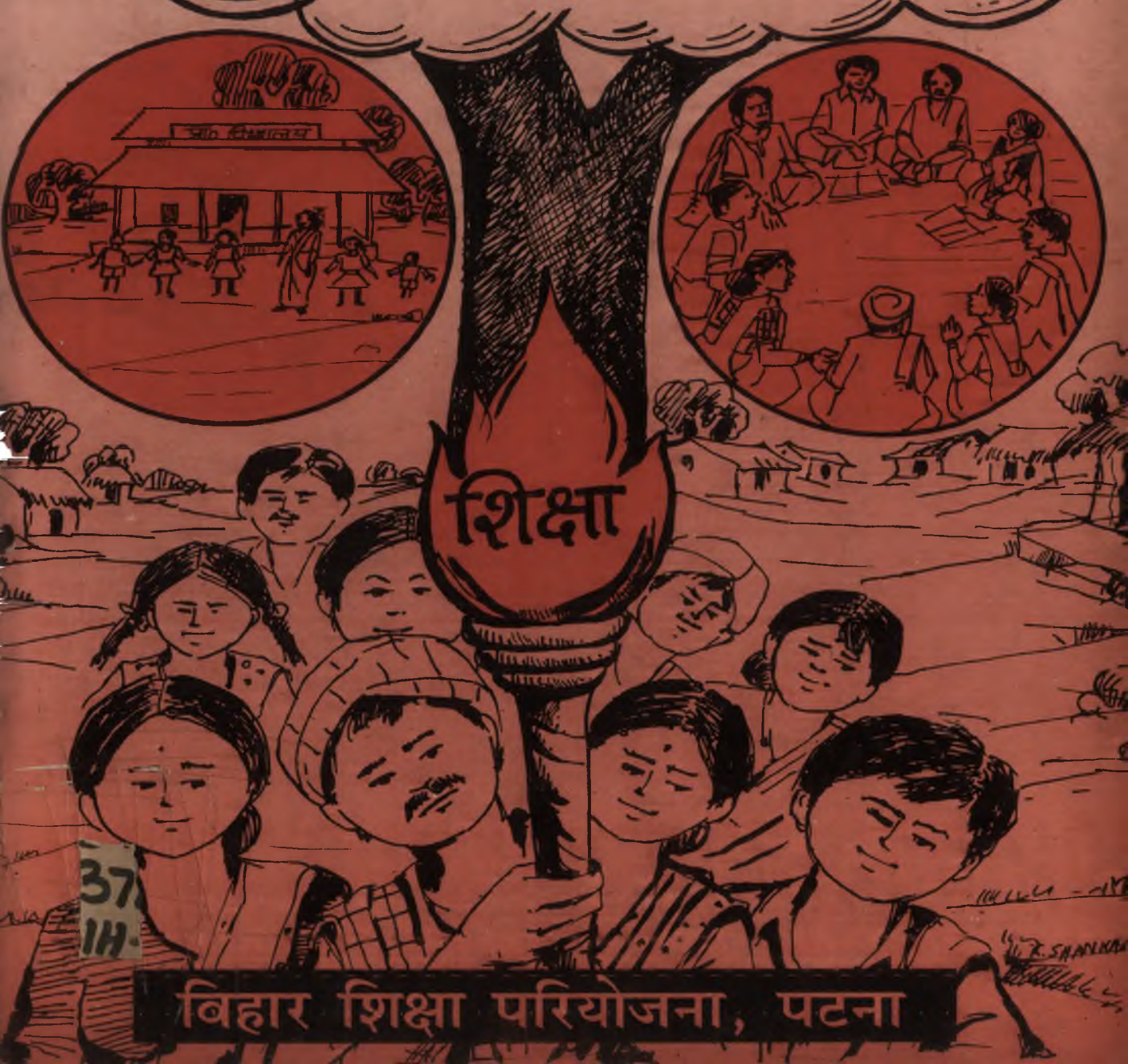

37
IH

बिहार शिक्षा परियोजना, पटना

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

एक समग्र दृष्टि

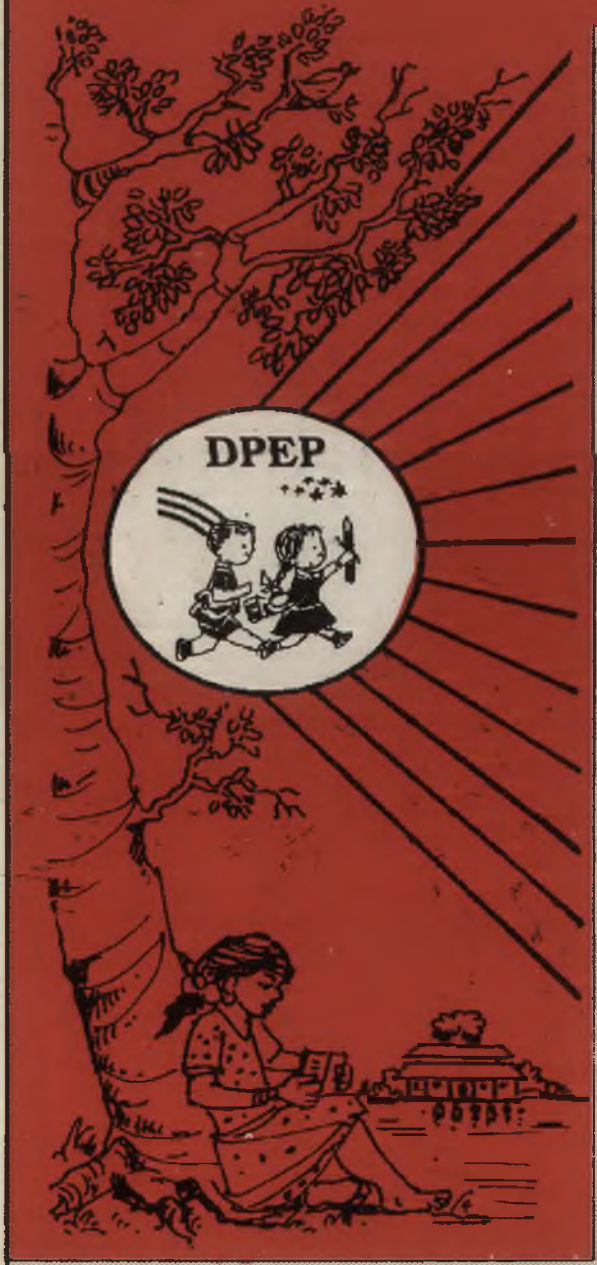

- ★ सामुदायिक सहभागिता एवं स्वामित्व
- ★ महिलाओं, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों/ जनजातियों और विकलांगों के लिए शैक्षणिक अवसरों की समानता
- ★ वैकल्पिक शिक्षा
- ★ दूरवर्ती पढ़ाई के द्वारा प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण
- ★ शिक्षा-शास्त्रीय आयामों का विस्तार
- ★ असैनिक कार्य
- ★ संस्थागत विकास एवं क्षमता निर्माण
- ★ सेवाओं का संकेन्द्रीकरण (Convergence)
- ★ प्रभावी देख-रेख एवं अनुश्रवण
- ★ गहन-शोध एवं मूल्यांकन
- ★ ठोस समीक्षा प्रणाली
- ★ प्रबंधन सूचना प्रणाली
- ★ उत्तरदायी एवं लचीली योजना प्रबंधन प्रणाली

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य जिला विशेष (के संदर्भ में) योजना-सूत्रण और बहुआयामी लक्ष्य निर्धारण के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण को प्राप्त करने के लिए रणनीतियों को लागू करना है।

ग्राम शिक्षा समिति
प्रशिक्षण मॉड्यूल

"ले मशालें चल पड़े हैं,
लोग मेरे गाँव के ... "

NIEPA DC
D09891

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्
बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्री नगर
पटना - 800 023

प्रकाशक : **बिहार शिक्षा परियोजना परिषद**
बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्री नगर
पटना-800 023
दूरभाष : 280699, 285793
फैक्स : 281005

© **बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना**

प्रकाशन वर्ष : **मई 1998**

LIBRARY & DOCUMENTATION UNIT
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg.
New Delhi-110016
DOC. No D-9891
Date 27-7-98

प्रकाशित प्रतियाँ : **5000**

आमुख : रवि शंकर

मुद्रक :
पटना ऑफसेट प्रेस
धरहरा कोठी के पास
नया टोला, पटना–4
दूरभाष : 658873

अपनी बात

लोकभागीदारी बगैर लोकसशक्तीकरण के, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में सहायक नहीं हो सकती। इसलिए बिहार शिक्षा परियोजना की यह समझ उभरी है कि लोकसशक्तीकरण की प्रक्रिया के रूप में ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। बिहार शिक्षा परियोजना के सात पुराने जिलों में ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के अलग-अलग मॉड्यूल जिला-स्तर पर अपनी पहलकदमी से बनाए गए हैं तथा उनका उपयोग किया जा रहा है। इसी क्रम में यह समझ उभरी कि अलग-अलग मॉड्यूल के अनुसार हो रहे प्रशिक्षणों के अनुभवों को सँजोकर यह कोशिश की जाए कि राज्य-स्तर पर सभी जिलों के लिए प्रशिक्षण का एक मजबूत मॉड्यूल बन सके। इसका उद्देश्य यह रहा कि हम बि.शि.प. के सकारात्मक अनुभवों को सँजोकर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में सभी जिलों के लिए प्रा. शि. स. के प्रशिक्षण हेतु कुछ ऐसा सृजन करना चाहते हैं, जो लोकसशक्तीकरण के सभी आयामों को समेटने की क्षमता रखता हो। साथ ही सोच यह भी रही है कि मॉड्यूल इतना लचीला हो कि उसमें जिला विशेष की विशिष्टियों को जोड़ने में कहीं कोई कठिनाई उपस्थित न हो सके।

इसी क्रम में पटना में दो कार्यशालाएँ सितम्बर और दिसम्बर 97 में आयोजित की गईं। इन कार्यशालाओं में बि. शि. प. कर्मियों के अतिरिक्त शिक्षक, प्रशिक्षक, ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्य, स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा नेहरू युवा केन्द्रों के कतिपय युवा समन्वयकों ने भाग लिया। इन कार्यशालाओं में गहरे चिन्तन-मनन के बाद यह राय उभरी कि प्रशिक्षण सहभागितापूर्ण एवं अनुभवात्मक हो, इसमें संभाषण से अधिक परस्पर विचार-विनिमय पर जोर दिया जाए एवं प्रशिक्षण यथानुसार आवासीय एवं गैरआवासीय, दोनों हो। दरअसल लगभग 32,000 ग्राम शिक्षा समितियों के सभी सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित करना अपने आप में काफी समय-साध्य कार्य है, इसलिए एक समिति से अधिकतम 5 सदस्यों को ही प्रशिक्षित करने की राय बनी। यह संख्या भी 1,60,000 के आस-पास बैठती है। स्पष्टतः इतने अधिक लोगों को प्रशिक्षण देने का कार्य भी काफी समय, भारी संख्या में साधनसेवियों, प्रशिक्षण-स्थलों की व्यापक व्यवस्था एवं निधि की माँग करता है। इसी कारण जिलों की, सुविधानुसार प्रशिक्षण आवासीय/गैर आवासीय जैसी भी सुविधा हो, संचालित करने की राय उभरी है। प्रशिक्षण-स्थल संकुल संसाधन केन्द्र, प्रखंड संसाधन केन्द्र, या डायट (DIET) कहीं भी रखा जा सकता है।

इस पुस्तिका में उपर्युक्त विचारों को रूप-परिधान दिया गया है।

प्रशिक्षण मॉड्यूल के निर्माण के लिए जिन मित्रों ने दोनों कार्यशालाओं में भाग लिया, बि. शि. प. उनका आभारी है। यह मॉड्यूल कोई अंतिम मॉड्यूल नहीं है; अपितु कुछ बेहतर करने का प्रयास है। अतएव जिले अपने अनुभवों के आधार पर इसमें कुछ जोड़-घटा सकते हैं।

मॉड्यूल को समृद्ध करने के लिए आप सभी के सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

व्यास जी

राज्य परियोजना निदेशक

ग्राम शिक्षा समिति प्रशिक्षण मॉड्यूल

(ले मशालें चल पड़े हैं, लोग मेरे गाँव के....)

विषय-सूची **पृष्ठ-संख्या**

1. ग्राम शिक्षा समिति का प्रशिक्षण **1–4**

1.1 उद्देश्य 1

1.2 प्रशिक्षण की प्रकृति 1

1.3 प्रशिक्षण-प्रक्रिया 2

1.4 दिनचर्या के मुख्य बिन्दु 3

1.5 साधनसेवी प्रशिक्षण के दौरान ध्यान रखें 4

2. ग्राम शिक्षा समिति प्रशिक्षण मॉड्यूल की विवरणी **5–55**

2.1 प्रथम दिन 5

2.2 द्वितीय दिन 18

2.3 तृतीय दिन 28

2.4 चतुर्थ दिन 38

2.5 पंचम दिन 47

3. परिशिष्ट **56-58**

3.1.1 'छोटा घड़ा, बड़ा घड़ा' का खेल 56

3.1.2 'हाँ-ना' का खेल 57

3.1.3 'रिंग-रिंग' का खेल 57

3.1.4 'एक, दो, तीन, चार-सर पर हाथ रख' का खेल 57

3.1.5 'मेरा दोस्त रामू खो गया है' का खेल 58

1. ग्राम शिक्षा समिति का प्रशिक्षण

1.1 उद्देश्य

- प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्यों की संप्राप्ति हेतु लोक सशक्तीकरण करना।
- प्राथमिक शिक्षा में दाता-पाता के संबंधों की जगह लोक-भागीदारी की स्थापना करना ।
- ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से समुदाय में प्राथमिक शिक्षा के प्रति सामूहिक साझेदारी की सोच विकसित करना ।
- ग्राम शिक्षा समिति के कार्यकलापों में अभिवंचित वर्ग/महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना ।
- ग्राम शिक्षा समिति के सफल संचालन के लिए क्षमता विकसित करना ।
- ग्राम शिक्षा योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन की क्षमता का विकास करना ।
- विद्यालय के भौतिक एवं शैक्षिक प्रबंधन के प्रति समुदाय में जागरूकता एवं उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना ।

1.2 प्रशिक्षण की प्रकृति

- पाँच दिवसीय ।
- आवासीय/गैर आवासीय (जैसी भी सुविधा उपलब्ध हो) ।
- प्रत्येक प्रशिक्षण-चर्या में लगभग 35 प्रतिभागी होंगे ।
- प्रत्येक समिति से पाँच सदस्यों को प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाएगा; जिसमें सचिव एवं अध्यक्ष अवश्य हों। इसके अतिरिक्त शेष सदस्यों में अभिवंचित वर्ग से कम-से-कम एक सदस्य तथा दो महिला सदस्य (कुल पाँच सदस्य) होंगे ।

- प्राथमिक शिक्षा में दाता-पाता के संबंधों की जगह लोक-भागीदारी/लोक-स्वामित्व की स्थापना करना ।
- सैद्धांतिक/व्यावहारिक ज्ञान पर आधारित ।
- सहभागी प्रशिक्षण विधि ।
- अनुभवात्मक प्रशिक्षण विधि ।
- अवधारणा, सूचना, कौशल, अभिवृत्ति, एवं वैयक्तिक गुणों के विकास पर ध्यान ।
- लोक से सीखने-सिखाने पर बल : लोक-सशक्तीकरण ।

1.3 प्रशिक्षण-प्रक्रिया

- सहभागिता-आधारित प्रशिक्षण ।
- भाषण का कम-से-कम प्रयोग ।
- केवल नये विषय पर आवश्यकतानुसार भाषण ।
- विषय वस्तु को रोचक बनाने के लिए चित्र/आर्ट, ब्लैकबोर्ड, प्रश्नोत्तर आदि का उपयोग करने के साथ-साथ निम्न विधियों का सहारा लिया जा सकता है :
  - बड़े समूह/छोटे समूह में चर्चा/समूह-प्रस्तुति ।
  - वार्तालाप ।
  - विचार-अभिव्यक्ति/विचार -मंथन ।
  - प्रतीकात्मक खेल ।
  - रोल-प्ले ।
  - केस-स्टडी ।
  - झिझक-तोड़ गतिविधियाँ।
  - गीत/नाटक ।
  - खेल ।
  - फील्ड-वर्क ।

1.4 दिनचर्या के मुख्य बिन्दु

आवासीय

पूर्व संध्या	निबंधन		
	सामग्री वितरण		
सुबह	जागरण	:	6.00 बजे
	प्रार्थना	:	6.30 बजे
	सफाई	:	7.00 बजे
	स्नान/ध्यान	:	7.30 बजे
	नाश्ता	:	8.30 बजे
शैक्षणिक सत्र	प्रथम सत्र	:	9.00 बजे
	चाय	:	11.00 बजे
दोपहर का भोजन		:	1.30 बजे
	द्वितीय सत्र	:	2.30 बजे
	चाय	:	4.00 बजे
संध्या	मुक्तावकाश	:	5.30 बजे
रात्रि	सांस्कृति-कार्यक्रम	:	7.30 बजे
रात्रि का भोजन		:	8.30 बजे
	दीप-शांति	:	10.00 बजे

गैर आवासीय

	प्रथम सत्र	:	9.00 बजे
	चाय	:	11.00 बजे
दोपहर का भोजन		:	1.00 बजे
	द्वितीय सत्र	:	2.30 बजे
	चाय	:	4.00 बजे
	मुक्तावकाश	:	5.30 बजे

प्रशिक्षण मॉड्यूल में विषयवस्तु-सम्प्रेषण के लिए पूर्व के अनुभवों के आधार पर समय निर्धारित किया गया है। चर्चा की अवधि घट-बढ़ सकती है। अतः निर्धारित समय को आवश्यकतानुसार घटाया-बढ़ाया जा सकता है।

1.5 साधनसेवी प्रशिक्षण के दौरान ध्यान रखें

- प्रशिक्षक होते हुए भी स्वयं को प्रतिभागी समझें तथा प्रतिभागी के साथ श्रेणी/कतार में बैठें ।
- यथासंभव 'हम', 'हमलोग' का प्रयोग करें । 'आप', 'आप शिक्षा समिति के लोग' आदि का प्रयोग न्यूनतम करें । 'तुम' का प्रयोग करने से बचें ।
- समय की प्रतिबद्धता, सहज तथा सौहार्दपूर्ण माहौल एवं अनुशासन सदैव बनाए रखना ।
- किसी के तीव्र विचार का प्रतिरोध नहीं हो, विचारों का आदर हो ।
- सभी बातों/विचारों का अनावश्यक रूप से उत्तर या जवाब नहीं देना तथा वाद-विवाद में नहीं उलझना ।
- सुनना अधिक, बोलना कम ।
- समुदाय के प्रति हमेशा ही आदरभाव रखना, उदाहरण के लिए किसी भी अंश के प्रति अनादरसूचक शब्दों, जैसे– 'अनपढ़', 'वे', 'वे सब' के प्रयोग से बचना ।
- महिलाओं के प्रति आदर तथा सम्मान का भाव ।
- सभी प्रतिभागी किसी न किसी रूप में शरीक हों – यह ध्यान रखना, जिससे कि उनके अंदर की प्रतिभा या गुण निकले । इसके लिए उपर्युक्त तथा उन्मुक्त माहौल पैदा करना ।
- कोई बाहरी व्यक्ति/विशिष्ट अतिथि अगर प्रशिक्षण के दौरान आते हैं तो उन्हें सम्मान देना, लेकिन उनसे कोई लेक्चर/भाषण नहीं दिलवाना, उनकी सहभागिता भी एक प्रतिभागी के रूप में हो (उससे अधिक नहीं) ।
- कोई औपचारिक उद्घाटन आदि जरूरी नहीं ।
- भोजन आदि में परियोजना के कार्यक्रमों में मांसाहारी/गैर-शाकाहारी भोजन पर पूरी पाबंदी है ।
- आदेश एवं निर्देश शब्द का प्रयोग न किया जाय ।
- प्रशिक्षण-अवधि में नीरसता आने पर खेल आदि का उपयोग किया जा सकता है ।
- स्वयं को प्रशिक्षक न कहें । आप साधनसेवी हैं ।

2. ग्राम शिक्षा समिति मॉड्यूल की विवरणी

2.1 प्रथम दिन

भोजनपूर्व सत्र

विषय वस्तु

1.	अभियान गीत– 'सौ में सत्तर आदमी	(10 मिनट)
2.	आपसी परिचय	(45 मिनट)
3.	प्रशिक्षण-व्यवस्था एवं बी. ई. पी. संस्कृति की जानकारी ।	(45 मिनट)
4.	प्रशिक्षण-प्रतिवेदन पर सामान्य चर्चा एवं जानकारी ।	(20 मिनट)

चाय (15 मिनट)

5.	प्रशिक्षण के उद्देश्यों की जानकारी	(30 मिनट)
6.	हमारे गाँवों का सामाजिक/आर्थिक स्वरूप क्या है ? एक विश्लेषण ।	(105 मिनट)

दोपहर का भोजन (60 मिनट)

भोजनोपरांत सत्र

7. प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति और सार्वजनीकरण का लक्ष्य :– (90 मिनट)

- ☐ स्थिति का विश्लेषण ।
- ☐ समस्याओं की पहचान ।
- ☐ समस्याओं का समाधान ।

चाय

8.	प्राथमिक शिक्षा का व्यक्ति/समाज/राज्य एवं राष्ट्र के लिए महत्व ।	(45 मिनट)
9.	पुनरावृत्ति/मूडोमीटर	(30 मिनट)

2.1 प्रथम दिन

1. विषय–वस्तु समय – 10 मिनट

अभियान गीत–'सौ में सत्तर आदमी.....'

1.1 उद्देश्य

- शिविर में प्रशिक्षण के लिए माहौल तैयार करना ।
- प्रतिभागियों को प्रेरित करना ।
- सामूहिक कार्य की भावना का विकास ।

1.2 विधि

बड़े समूह में गायन ।

1.3 प्रक्रिया

सभी प्रतिभागी बड़े समूह में U आकार या गोलाई में खड़े हो जायेंगे । साधनसेवी-दल बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा उपलब्ध अभियान गीत 'सौ में सत्तर आदमी...' को लयबद्ध ढंग से गाएँगे एवं सभी प्रतिभागी सामूहिक रूप से दुहरायेंगे ।

1.4 सामग्री

अभियान-गीत की प्रतियाँ ।

1.5 निष्कर्ष

प्रतिभागियों को गीत के माध्यम से संवेदनशील बनाना तथा उनमें प्रशिक्षण के प्रति लगाव पैदा करना ।

1.6 सावधानी

साधनसेवी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक प्रतिभागी सामूहिक गीत में भाग लें ।

2. विषय-वस्तु (45 मिनट)

आपसी परिचय

2.1 उद्देश्य

- सभी प्रतिभागियों को बोलने का अवसर प्रदान करना ।
- एक-दूसरे का परिचय जानना तथा आपसी मेलमिलाप का अवसर प्रदान करना।
- झिझक दूर करना ।

2.2 विधि

जोड़ों में पारस्परिक परिचय ।

2.3 प्रक्रिया

सर्वप्रथम सभी प्रतिभागी वृत्ताकार खड़े होंगे । एक-दो की गिनती गिनेंगे । जिनका एक नम्बर होगा, वे वहीं खड़े रह जाएँगे तथा जिनका दो नम्बर होगा, वे एक कदम पीछे हो जाएँगे । इस प्रकार दो वृत्त बनेंगे, जिसमें एक वृत्त दूसरे वृत्त के अन्दर होगा। अब सभी व्यक्तियों को पीछे घूम जाने को कहेंगे । एक नम्बर वाला समूह अपने वृत्त में दाहिनी तरफ बढ़ेगा तथा दूसरे नम्बर वाला समूह अपनी बाईं ओर वृत्त में घूमेगा । इसके लिये बी. ई. पी. ताली अथवा गीत के माध्यम से दोनों समूह अपने-अपने वृत्त में घूमेंगे । ताली/गीत समाप्त होते ही सभी प्रतिभागी स्थिर हो जाएँगे। अब दोनों वृत्त के प्रतिभागी आमने-सामने हो जाएँगे तथा अपने सामने एक नए साथी को देखेंगे । उनके साथ जोड़ा बनाएँगे । इन सभी जोड़ों को आपसी परिचय हेतु दस मिनट का समय दिया जाएगा । आपसी परिचय के निम्न बिन्दु हो सकते हैं :–

- नाम :
- पता:
- शैक्षणिक योग्यता :
- व्यवसाय :
- अभिरूचि :
- प्रशिक्षण से अपेक्षाएँ :

पुनः 10 मिनट की समय-समाप्ति के पश्चात सभी प्रतिभागी अपने जोड़ों के साथ प्रशिक्षण कक्ष में बैठ जाएँगे । तत्पश्चात किसी एक सिरे से प्रत्येक जोड़ा एक-दूसरे का परिचय बड़े समूह में प्रस्तुत करेगा ।

आपसी परिचय की अन्य विधियाँ भी साधनसेवी सोच सकते हैं एवं उनका उपयोग कर सकते हैं । यदि किसी परिचय-विधि के लिए अन्य सामग्री की आवश्यकता हो, तो इसकी व्यवस्था प्रशिक्षण-पूर्व कर ली जाए ।

2.4 सामग्री

चार्ट-पेपर के छोटे-छोटे टुकड़े, स्केच-पेन, बोर्ड पिन आदि आवश्यकतानुसार ।

2.5 निष्कर्ष

- आपसी परिचय तथा मेल-मिलाप के माध्यम से प्रतिभागियों की झिझक को दूर करना ।
- साधनसेवी एवं प्रतिभागियों के बीच आपसी समझ विकसित करना एवं प्रशिक्षण का वातावरण बनाना ।

2.6 सावधानी

- साधनसेवी दल अपेक्षाओं की एक सूची तैयार कर लेंगे ।
- साधनसेवी इस खेल में स्वयं भी भाग लें ।

3. विषय–वस्तु (45 मिनट)

प्रशिक्षण-व्यवस्था एवं बी. ई० पी. संस्कृति की जानकारी।

3.1 उद्देश्य

- ☐ प्रशिक्षण-व्यवस्था संबंधी सभी जानकारियों से प्रतिभागियों को अवगत कराना ।
- ☐ बी. ई. पी. संस्कृति से अवगत कराना ।

3.2 विधि

बड़े समूह में जानकारी एवं चर्चा ।

3.3 प्रक्रिया

साधनसेवी हस्त-पत्र अथवा सामान्य चर्चा द्वारा प्रशिक्षण-व्यवस्था तथा बी. ई. पी. संस्कृति के बारे में प्रतिभागियों को आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे । व्यवस्था-संबंधी निम्न जानकारियाँ दी जा सकती हैं :–

- ☐ भोजन-व्यवस्था, सफाई-व्यवस्था, वर्ग-व्यवस्था,
- ☐ सांस्कृतिक-कार्यक्रम तथा आवास-व्यवस्था आदि ।

बेहतर संचालन के लिए प्रत्येक व्यवस्था हेतु प्रतिभागियों में से ही प्रभारी दल का आम सहमति से चयन के बाद बी. ई. पी. संस्कृति के मुख्य बिन्दुओं को प्रतिभागियों के बीच निम्न प्रकार से साधनसेवी रखेंगे :–

- ☐ सहभागिता पर विश्वास ।
- ☐ समुदाय के नेतृत्व पर विश्वास/ 'वे' की बजाए 'हम' पर जोर, शिक्षा के सामाजिक बदलाव को माध्यम मानना ।
- ☐ मिशन-भावना, एक-दूसरे के विचारों का सम्मान तथा समयबद्धता एवं सादगी/विनम्रता/संवेदनशीलता आदि ।
- ☐ महिलाओं के प्रति सम्मान ।

- सीखने/सीखाने की प्रक्रिया पर विश्वास ।
- प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित भाव से काम करना तथा कार्य को पूजा समझना ।

साधनसेवी उपर्युक्त बिन्दुओं पर संक्षिप्त चर्चा भी कराएँ ।

3.4 सामग्री

हस्त-पत्र, सूचना-पट, बुकलेट, बी. ई. पी. मिशन भावना का पोस्टर, चार्ट, पेपर, स्केच-पेन आदि ।

3.5 निष्कर्ष

प्रशिक्षण-व्यवस्था से प्रतिभागियों को परिचित कराना तथा बी. ई. पी. संस्कृति के प्रति साकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना ।

3.6 सावधानी

चर्चा के दौरान प्रतिभागियों द्वारा किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया के प्रति साधनसेवी द्वारा सम्मान का भाव प्रदर्शित करते हुए उसे ध्यान से सुनना एवं आवश्यक सुझाव देना ।

4. विषय-वस्तु

(20 मिनट)

प्रशिक्षण प्रतिवेदन पर सामान्य-चर्चा एवं जानकारी ।

4.1 उद्देश्य

- दिन भर के क्रियाकलापों (प्रशिक्षण-अवधि) की लिखित जानकारी हेतु प्रतिवेदन- लेखन, उसका स्मरण एवं विश्लेषण ।
- पुनरावलोकन हेतु लिखित दस्तावेज बनाना ।
- लेखन-विधा एवं प्रस्तुतिकरण की क्षमता का विकास ।
- प्रशिक्षण के स्तर में गुणात्मक सुधार लाना ।

4.2 विधि

स्वैच्छिक सहभागिता ।

4.3 प्रक्रिया

साधनसेवी बड़े समूह में से दोनों सत्रों हेतु एक-एक जोड़ी प्रतिवेदकों को स्वेच्छा से प्रतिवेदन लिखने हेतु प्रेरित करेंगे, तथा प्रतिवेदन लिखने की जानकारी देंगे।

4.4 सामग्री

सादा-कागज, पेन, पेंसिल, स्केल आदि ।

4.5 निष्कर्ष

प्रतिभागियों में दैनिक रूप से प्रशिक्षण के बारे में प्रतिवेदन लिखने तथा उसे प्रस्तुत करने की क्षमता का विकास ।

4.6 सावधानी

- ☐ साधनसेवी-दल इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्रतिवेदक अपना नाम स्वेच्छा से दें । यह कार्य उन पर थोंपा न जाय ।
- ☐ पूरे दिन की मुख्य कार्यवाही (विषय-वस्तु का नाम एवं मुख्य-बिन्दु) क्रमवार होनी चाहिए। प्रशिक्षण-अवधि में आगत अतिथियों को छोड़कर प्रतिभागियों एवं उत्प्रेरकों का नाम उल्लेख न कर प्रतिभागी तथा प्रशिक्षक शब्द का व्यवहार किया जाए ।

5. विषय–वस्तु (30 मिनट)

प्रशिक्षण के उद्देश्यों की जानकारी।

5.1 उद्देश्य

- ☐ प्रशिक्षण के उद्देश्यों के प्रति समझ विकसित करना एवं उद्देश्य के अनुरूप सबकी सहभागिता सुनिश्चित करना ।
- ☐ मानसिक तौर पर सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के लिए तैयार करना ।

5.2 विधि

दिमागी कसरत (Brain Storming)।

5.3 प्रक्रिया

साधनसेवी प्रतिभागियों से प्राप्त अपेक्षाओं की एक सूची तैयार करेंगे एवं उसे श्यामपट्ट/चार्ट-पेपर पर अंकित करेंगे तथा उसका विश्लेषण करते हुए प्रशिक्षण के उद्देश्यों को पुनर्स्थापित करेंगे। इस प्रक्रिया में भाग लेनेवाले सभी प्रतिभागियों को अपने द्वारा ही प्रशिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करने का अहसास होगा ।

5.4 सामग्री

श्यामपट, चॉक, डस्टर, चार्ट-पेपर,स्केचपेन, मार्कर, सैलो-टेप,गोंद इत्यादि ।

5.5 निष्कर्ष

प्रतिभागियों में प्रशिक्षण की आवश्यकता एवं उसकी उपयोगिता के बारे में समझ का विकास ।

5.6 सावधानी

साधनसेवी इस बात का ध्यान रखें कि प्रत्येक प्रतिभागी अपनी किसी-न-किसी अपेक्षा का अवश्य ही उल्लेख करें ।

6. विषय-वस्तु

(105 मिनट)

'हमारे गाँव का सामाजिक आर्थिक' स्वरूप क्या है—एक विश्लेषण

6.1 उद्देश्य

- ☐ गाँव की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति से प्रतिभागियों को अवगत कराना तथा इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार-मंथन द्वारा उन्हें संवेदनशील बनाना ।
- ☐ गाँव की वास्तविक समस्याओं से अवगत होना ।

6.2 विधि

बड़े समूह में चर्चा, दिमागी कसरत एवं विचार-मंथन ।

6.3 प्रक्रिया

बड़े समूह में चर्चा करना तथा उभरे हुए बिन्दुओं की सूची तैयार करना (श्याम पट्ट/चार्ट पेपर पर)। उभरे बिन्दुओं के अनुसार गरीबी, अशिक्षा, भेदभाव, विकास का सीमिति पर असर, महिलाओं की स्थिति, अ. जा./अ. ज. जा. की सीमित स्थिति आदि मुद्दों पर साधनसेवी द्वारा सार-संक्षेपण । इससे गाँवों के सामाजिक-आर्थिक बनावट एवं शिक्षा के बीच के संबंधों को जानने एवं समझाने की स्थिति साधनसेवी पैदा करेंगे ।

6.4 सामग्री

श्यामपट/चार्ट-पेपर, चॉक, डस्टर,स्केच पेन आदि ।

6.5 निष्कर्ष

गाँव के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के दयनीय होने का सीधा संबंध अशिक्षा एवं लोक-सशक्तिकरण के अभाव से है ।

6.6 सावधानी

- ☐ प्रतिभागी विषयांतरित न हों ।
- ☐ किसी भी प्रतिभागी के बिन्दु को सूची से न हटाया जाय ।
- ☐ प्रतिभागी अपने-अपने विचार पर उलझे नहीं ।
- ☐ किसी भी प्रतिभागी की भावना को ठेस न पहुँचे ।
- ☐ यह ध्यान रखा जाय कि एक ही बिन्दु बार-बार न आएँ ।

7. विषय–वस्तु (90 मिनट)

शिक्षा की वर्तमान स्थिति और सार्वजनीकरण का लक्ष्य :–

- ☐ **स्थिति का विश्लेषण ।**
- ☐ **समस्याओं की पहचान ।**
- ☐ **समस्याओं का समाधान ।**

7.1 उद्देश्य

- प्राथमिक-शिक्षा की वर्तमान स्थिति से अवगत कराना ।
- प्राथमिक-शिक्षा के सार्वजनीकरण के महत्त्व के प्रति चेतना विकसित करना ।

7.2 विधि

दिमागी कसरत एवं समूह-चर्चा ।

7.3 प्रक्रिया

बड़े समूह में स्थिति पर चर्चा तथा उससे उभरे बिन्दुओं को श्यामपट पर अंकित करना। इसके बाद साधनसेवी प्राथमिक-शिक्षा में आनेवाली समस्याओं की पहचान के साथ-साथ नामांकन, ठहराव एवं उपलब्धियों की वर्तमान स्थिति के बारे मेबड़े समूह में चर्चा करेंगे । इसमें बालिकाओं/अ.ज./अ.ज.जा. के संदर्भ में चर्चा जरूर हो । प्राथमिक-शिक्षा की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण, समस्याओं की पहचान तथा चिह्नित समस्याओं के समाधान हेतु साधनसेवी यदि आवश्यक समझें तो छोटे-समूह में भी चर्चा कर सकते हैं ।

7.4 सामग्री

श्यामपट, चॉक, डस्टर, चार्ट-पेपर, स्केच-पेन आदि ।

7.5 निष्कर्ष

सभी प्रतिभागियों को यह अहसास कराना कि प्राथमिक-शिक्षा का सार्वजनीकरण क्यों जरूरी है ?

7.6 सावधानी

पूरी प्रक्रिया में सभी प्रतिभागियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए साधनसेवी सचेत रहें ।

8. विषय (45 मिनट)

प्राथमिक-शिक्षा का व्यक्ति/समाज/राज्य एवं राष्ट्र के लिए महत्त्व

8.1 उद्देश्य

- ☐ प्राथमिक-शिक्षा के महत्त्व को व्यक्ति/समाज/राज्य एवं राष्ट्र के संदर्भ में समझना ।
- ☐ प्राथमिक-शिक्षा के सार्वजनीकरण की आवश्यकता एवं उसके अभाव से उत्पन्न कुप्रभावों के बारे में प्रतिभागियों को जागरूक बनाना ।
- ☐ स्थानीय स्तर पर सामुदायिक प्रयासों की महत्ता को प्रतिभागियों के बीच उजागर करना।

8.2 विधि

छोटे-समूह में चर्चा, समूह-प्रस्तुति एवं दिमागी कसरत ।

8.3 प्रक्रिया

साधनसेवी प्रतिभागियों को छोटे-छोटे समूहों में बाँटकर निम्न प्रश्नों पर चर्चा कराएँगे :—

- ☐ प्राथमिक-शिक्षा का सार्वजनीकरण न होने की स्थिति में व्यक्ति / समाज / राज्य एवं राष्ट्रके जीवन पर क्या बुरा असर पड़ रहा है ?
- ☐ 'कैसे प्रभाव पड़ा रहा है ?'
- ☐ 'इस दयनीय स्थिति का उत्तरदायी कौन है ?'
- ☐ 'समुदाय की इसमें क्यां भूमिका हो सकती है ?'

तत्पश्चात प्रत्येक समूह अपने-अपने लिए निर्धारित विषयों के बारे में बड़े समूह के समक्ष प्रस्तुत करेगा । इस प्रकार प्राप्त सभी प्रकार के विचारों को सामूहिक सहभागिता से साझी समझ की प्रक्रिया अपनाकर साधनसेवी साकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं ।

8.4 सामग्री

चार्ट-पेपर, स्केच-पेन आदि ।

8.5 निष्कर्ष

प्राथमिक-शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु शिक्षा को सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के वाहक के रूप में देखना तथा प्रतिभागियों में उत्तरदायित्व-बोध का विकास ।

8.6 सावधानी

विषय-प्रस्तुतिकरण के दौरान नकारात्मक प्रभावों के सामानांतर ही सकारात्मक सामुदायिक प्रयासों की महत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा ।

9. विषय-वस्तु (30 मिनट)

पुनरावृत्ति/मूडोमीटर

9.1 उद्देश्य

- प्रतिभागियों ने दोनों सत्रों की सभी गतिविधियों एवं विषय-वस्तुओं को कितना आत्मसात किया है, उसका आकलन करना ।
- प्रतिभागियों में पुर्नस्मरण/याद करने की प्रवृत्ति विकसित करना ।

9.2 विधि

बड़े समूह में गेंद अभ्यास/खेल ।

9.3 प्रक्रिया

सभी प्रतिभागी गोलाकार समूह में बैठेंगे । अब साधनसेवी कागज से बनी एक गेंद को किसी प्रतिभागी की ओर उछालेंगे । गेंद जिस प्रतिभागी के पास जाएगी, उसे उस दिन की पहली गतिविधि के बारे में पूरे समूह को बताना होगा । क्रमशः वह गेंद उछलते हुए जिन-जिन प्रतिभागियों के पास जाएगी, उसे पहले बताई गई गतिविधि को छोड़कर उस दिन की दूसरी गतिविधि के बारे में बताना होगा । इस प्रकार दिन भर की सारी गतिविधियों को बारी-बारी से गेंद के माध्यम से बताया जाएगा ।

9.4 सामग्री

रद्दी-कागज/पुराना-अखबार अथवा गेंद

9.5 निष्कर्ष

दिनभर की गतिविधियों का पुनरावलोकन ।

9.6 सावधानी

- ☐ यदि कोई प्रतिभागी किसी गतिविधि को छोड़ देता है या बताने में दिक्कत हो रही हो, तो साधनसेवी को सहयोग करना होगा ।
- ☐ साधनसेवी दिन भर के कार्यकलापों के प्रति सजग रहें । अगर इसमें तनिक भी भूल हुई, तो प्रशिक्षण पर इसका बुरा असर पड़ेगा ।

2.2 द्वितीय दिन

भोजनपूर्व सत्र

विषय वस्तु

1. अभियान-गीत (10 मिनट)

2. पिछले दिन के प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण, सुधार एवं सुझाव तथा आज के प्रतिवेदकों का चयन । (20 मिनट)

3. बी. ई. पी./जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का परिचय :— संदर्भ–प्रबंधन, ढाँचा एवं प्रमुख हस्तक्षेप । (90 मिनट)

चाय

4. महिलाओं एवं अभिवंचित वर्ग की शिक्षा के प्रति समाज की सोच :— (45 मिनट)
   - ☐ अभिवंचित वर्गों की पहचान ।
   - ☐ महिलाओं का सामाजिक विकास में योगदान ।

5. बि. शि. प. की, हम, संबंधी समझ :—समाज में व्याप्त नकारात्मक सोच के विपरीत सकारात्मक पहल। (90 मिनट)

दोपहर का भोजन (60 मिनट)

भोजनोपरांत सत्र

सुस्ती तोड़ खेल (15 मिनट)

6. प्राथमिक-शिक्षा के सार्वजनीकरण में लोक-भागीदारी की आवश्यकता एवं उसका महत्व :—खंडित चित्रों का अभ्यास । (75 मिनट)

चाय (15 मिनट)

शेष अभ्यास एवं सार-संक्षेपण (45 मिनट)

पुनरावृत्ति/मूडोमीटर रात्रि के लिए स्वकार्य (30 मिनट)

2.2 द्वितीय दिन

1. विषय–वस्तु

अभियान-गीत (10 मिनट)

- पिछले दिन की भाँति आज भी बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा तैयार अभियान-गीत/शिक्षा-गीत में से किसी गीत को सभी प्रतिभागी मिलकर गाएँगे । साधनसेवी यदि चाहें, आज सभी लोग 'लें मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के.....' गीत को गाएँगे ।

2. विषय-वस्तु (20 मिनट)

पिछले दिन के प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण, सुझाव एवं सुधार, तथा आज के प्रतिवेदकों का चयन ।

- पिछले दिन की चर्चा अनुसार प्रतिवेदन प्रस्तुति होने के बाद साधनसेवी आज के लिए नए प्रतिवेदकों का चयन सुनिश्चित करेंगे ।

3. विषय–वस्तु (90 मिनट)

बी. ई. पी./जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एक परिचयः–संदर्भ प्रबंधन–ढाँचा एवं प्रमुख हस्तक्षेप ।

3.1 उद्देश्य :

- बिहार शिक्षा परियोजना एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रति समझ विकसित करना ।
- बी. आर. सी. एवं सी. आर. सी. के कार्यों की संक्षिप्त जानकारी प्रदान करना ।
- शिक्षा विभाग के प्रशासनिक ढाँचे से अवगत कराना ।

3.2 विधि

बड़े समूह में परिचर्चा ।

3.3 प्रक्रिया :

बड़े-समूह में परिचर्चा । बी. ई. पी. एवं डी. ई०.पी. के विभिन्न घटकों के माध्यम को प्राथमिक-शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए किए जा रहे एवं किए जानेवाले कार्यों की जानकारी साधनसेवी देंगे । परिचर्चा के दौरान लिखित हस्तपत्र वितरित करके परिचर्चा श्रेयस्कर बनाया जा सकता है । इसी क्रम में शिक्ष-विभाग के प्रशासनिक ढाँचे की जानकारी दी जाए तथा 'ग्राम शिक्षा समिति' को दर्शाया जाए ।

3.4 सामग्री :

हस्त-पत्र, चार्ट-पेपर, स्केच-पेन, फिलीप-चार्ट,श्यामपट, चाँक, डस्टर आदि ।

3.5 निष्कर्ष

प्रतिभागियों में बी. ई. पी./डी. पी. ई. पी. तथा शिक्षा-विभाग की कार्य प्रणाली के बारे में समझ का विकास।

3.6 सावधानी :

बी. ई. पी./डी. पी. ई. पी. मात्र परियोजना नहीं; बल्कि एक मिशन है, इस बात का साधनसेवी अपने प्रस्तुतिकरण के दौरान ध्यान रखेंगे ।

4. विषय-वस्तु (45 मिनट)

महिलाओं एवं अभिवंचित वर्ग की शिक्षा के प्रति समाज की सोच :—

- **अभिवंचित वर्गों की पहचान ।**
- **महिलाओं की सामाजिक विकास में योगदान ।**

4.1 उद्देश्य

- शिक्षा के प्रति समाज की सोच को उभारना ।
- महिलाओं एवं अभिवंचित वर्गो को शिक्षा के प्रति संवेनशील बनाना ।
- महिलाओं एवं अभिवंचित वर्गों को शिक्षा की स्थिति से अवगत कराना ।

4.2 विधि

छोटे समूह में चर्चा ।

4.3 प्रक्रिया

छोटे समूह में चर्चा । प्रशिक्षक प्रतिभागियों को चार छोटे समूह में बाँटेंगे । प्रत्येक समूह को एक-एक विषय वस्तु चर्चा करने के लिए देंगे। यथा—

- ☐ महिलाओं की शिक्षा के प्रति समाज की सोच ।
- ☐ अभिवंचित वर्ग की शिक्षा के प्रति समाज की सोच ।
- ☐ बालिकाओं की शिक्षा के प्रति महिलाओं की सोच ।
- ☐ अभिवंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा के प्रति उनके वयस्कों की सोच ।

समूह-चर्चा के लिए 45 मिनट समय दिए जाएँ । पुनः बड़े समूह के समक्ष प्रत्येक समूह को बारी-बारी से प्रस्तुतिकरण के लिए कहा जाए । प्रस्तुतिकरण के पश्चात चर्चाएँ कराई जाए ।

4.4 निष्कर्ष

समाज में व्याप्त नकारात्मक सोच के प्रति प्रतिभागियों में संवेदनशीलता का विकास एवं शिक्षा की आवश्यकता को उभारना ।

4.5 सावधानी

- ☐ समूह-चर्चा में सभी प्रतिभागी भाग ले; यह सुनिश्चित किया जाए ।
- ☐ समूह-चर्चा के क्रम में प्रशिक्षक प्रत्येक दल में कुछ-कुछ समय अवश्य सुनिश्चित करें ।

5. विषय-वस्तु

(90 मिनट)

बि. शि. प. की 'हम' संबंधी समझ :— समाज में व्याप्त नाकारात्मक सोच के विपरीत सकारात्मक पहल ।

5.1 उद्देश्य

- अपने को समुदाय के बीच की एक कड़ी समझना/स्वयं को समुदाय का ही हिस्सा मानना तथा समुदाय की संवेदना से खुद को जोड़ना ।
- नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलना ।
- सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु विभिन्न पहलुओं से अवगत कराना ।

5.2 विधि

बड़े समूह में प्रस्तुति एवं दिमागी कसरत ।

5.3 प्रक्रिया

इसके पहले वाली विषय-वस्तु की प्रक्रिया के अनुसार साधनसेवी इस सत्र में सर्वप्रथम सभी प्रस्तुतियाँ हो जाने के बाद प्रत्येक प्रतिभागी से नकारात्मक सोच को साकारात्मक सोच में बदलने हेतु विचार प्राप्त करेंगे तथा उसे श्यायपट्ट/फिलीपचार्ट में अंकित करते जाएँगे । उसके पश्चात प्राप्त/अंकित विचारों को लेकर साधनसेवी चर्चा कराएँ । अन्त में अंकित विचारों को लेकर साधनसेवी अपना मन्तव्य समूह के सामने रखेंगे । 'वे' की बजाए 'हम' या 'मैं' की बजाए 'हम सब' की धारणा को साधनसेवी उभारने का प्रयास करेंगे ।

5.4 सामग्री

चार्ट-पेपर, स्केच-पेन, श्यामपट, चाँक, डस्टर आदि ।

5.5 निष्कर्ष

प्रतिभागियों में अपने आप को समुदाय का हिस्सा मानने की प्रवृत्ति का विकास ।

5.6 सावधानी

- ☐ विषयान्तर न हों ।
- ☐ प्रत्येक प्रतिभागी के विचार को अंकित किया जाए तथा उनके विचारों को सुना जाए ।
- ☐ चर्चा के क्रम में वाद-विवाद की स्थिति न हो ।

6. विषय-वस्तु (75 मिनट)

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में लोक-भागीदारी की आवश्यकता एवं उसका महत्त्व : खंडित चित्रों का अभ्यास ।

6.1 उद्देश्य

- ☐ प्राथमिक-शिक्षा के सार्वजनिक हेतु लोक भागीदारी की आवश्यकता को उभारना ।
- ☐ प्रतिभागियों में सामूहिक सहभागिता की भावना विकसित करना ।

6.2 विधि

'समूह-चर्चा' खंडित चित्रों का अभ्यास ।

6.3 प्रक्रिया

विषय-वस्तु के प्रतिपादन हेतु साधनसेवी सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में लोकभागीदारी की आवश्यकता एवं उसके महत्व पर समूह-चर्चा कराएंगे। तत्पश्चात अभ्यास शुरू करने के क्रम में साधनसेवी प्रतिभागियों को पाँच छोटे-छोटे समूहों में बाँटकर प्रत्येक छोटे-छोटे समूह को अलग-अलग पंक्तिबद्ध एक-दूसरे के पीछे बैठने के लिए कहेंगे । इस प्रकार सभी पाँचों समूह इस तरह बैठेंगे कि एक समूह का सदस्य दूसरे समूह के सदस्य क्या कर रहे हैं– यह नहीं देख पाए । अब साधनसेवी प्रतिभागियों को अभ्यास का नियम बतायेंगे, जो इस प्रकार होगा :—

- अभ्यास के दौरान कोई भी सदस्य किसी से बात नहीं कर सकते । सदस्य किसी को इशारा भी नहीं कर सकते ।
- सभी ग्रुप को लिफाफे दिये जाएँगे– अर्थात् एक ग्रुप के लिए पाँच लिफाफा ।
- लिफाफे में चित्र के कुछ टुकड़े होंगे । सदस्यों को चित्रों को पूरा करना है, जो पाँचों लिफाफों के टुकड़ों को मिला कर बन सकता है । हर एक सदस्य अपने लिए एक चित्र बनाएगा ।
- सदस्य अपना टुकड़ा बगल वाले को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इशारे से माँग या झपट नहीं सकते हैं ।
- पाँच चित्र बनाने के लिए सभी समूहों को 15 मिनट का समय दें ।

15 मिनट के बाद जब अभ्यास समाप्त हो जाए तो प्रतिभागियों से बड़े समूह में उनके अनुभव पूछे जाएं । यह जरूरी नहीं है कि सभी प्रतिभागियों से उनका अनुभव पूछा जाए, लेकिन प्रत्येक ग्रुप के किसी न किसी सदस्य को अपना अनुभव अवश्य बताने को कहें । इसी क्रम में प्रतिभागियों से पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न इस प्रकार हो सकते हैं :—

- आपके ग्रुप में क्या हुआ ?
- सबसे पहले किसने टुकड़ा बढ़ाना शुरू किया ?
- आपका ग्रुप क्यों सफल हुआ ?
- आपका ग्रुप क्यों सफल नहीं हुआ ?
- आपके ग्रुप को सफल होने में कौन सहायक था ?
- कौन सी बाधाएँ थी ?
- क्या आप अपने ग्रुप के किसी सदस्य से दुखी हैं ?
- सबसे अच्छा रास्ता क्या था ?
- आपके ग्रुप ने सबसे अच्छा रास्ता क्यों नहीं चुना ?

प्रतिभागियों के द्वारा अनुभव सुनाते समय परिस्थिति को देखते हुए साधनसेवी-दल द्वारा और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं । अभ्यास शुरू करने से पहले साधनसेवी प्रत्येक समूह के लिए अवलोकनकर्त्ताओं का भी चयन करें और उन्हें यह निर्देश दे दें कि उन्हें अभ्यास के दौरान संबंधित समूह को या किसी भी अन्य समूह को कोई सहायता नहीं देनी है । वे प्रतिभागियों को आपस में बातचीत या इशारा करने से भी रोकेंगे तथा इस बात का ध्यान रखेंगे कि अभ्यास के नियमों का पालन सभी दलों द्वारा किया जाए ।

अंत में अभ्यास की समाप्ति के पश्चात प्रत्येक समूह के अपने-अपने अनुभवों के बारे में जो चर्चा होगी, उसको प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के संदर्भ में लोक भागीदारी की आवश्यकता एवं उसके महत्त्व से जोड़ते साधनसेवी सार-संक्षेपण करेंगे।

6.4 सामग्री

लिफाफा, खंडित/कटे हुए चित्रों के टुकड़े प्रत्येक समूह के लिए । उदाहरणस्वरूप कुछ जानवरों एवं पक्षियों से संबंधित तस्वीरों को टुकड़ों में विभाजित कर प्रत्येक समूह के सभी सदस्यों के लिए अलग-अलग लिफाफे तैयार किए जा सकते हैं । प्रत्येक लिफाफे के अन्दर जिस तस्वीर के टुकड़े होंगे, वही तस्वीर लिफाफे पर अंकित होगी ।

6.5 निष्कर्ष

प्रतिभागियों में खंडित चित्रों के अभ्यास के माध्यम से समूह-कार्य के दौरान आनेवाली अड़चनों के प्रति संचेतना का विकास तथा सामुदायिक कार्यों को निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर पूरा करने के लिए अभिप्रेरित करना ।

6.6 सावधानी

- साधनसेवी दल द्वारा प्रशिक्षण प्रारंभ होने से पहले ही इस अभ्यास को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए खंडित चित्रों से संबंधित अलग लिफाफों को तैयार कर लेना होगा ।
- अलग-अलग लिफाफे तैयार करते समय प्रत्येक समूह के लिए निर्धारित तस्वीरों के एक-दो टुकड़े को एक-दूसरे के लिफाफों में भी डाल देना होगा, ताकि अभ्यास का नियमानुसार संचालन किया जा सके ।

7. विषय-वस्तु (30 मिनट)

पुनरावृत्ति/मूडोमीटर ।

- पहले दिन की भाँति गेंद उछालकर सभी प्रतिभागियों से प्राप्त किया जाए ।

खण्डित चित्रों का अभ्यास (कुछ नमूने)

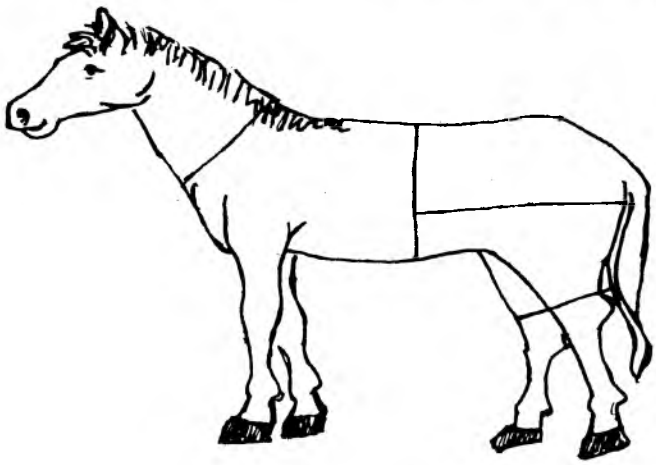

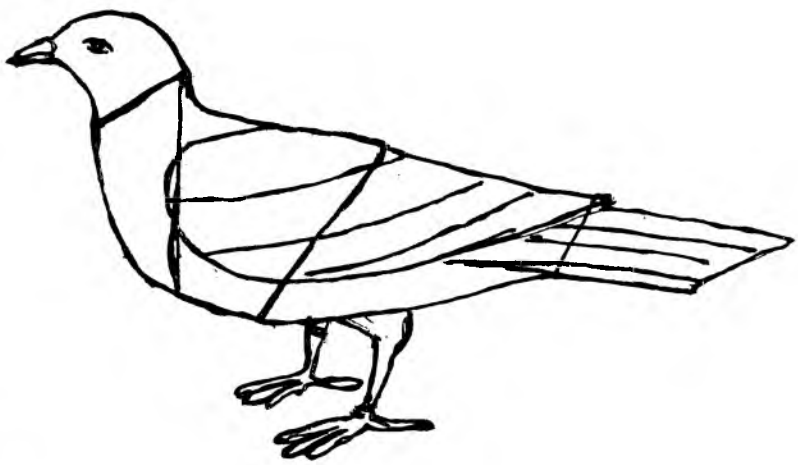

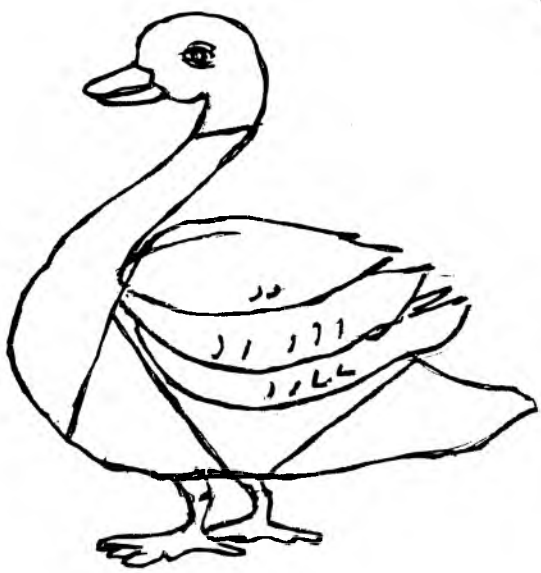

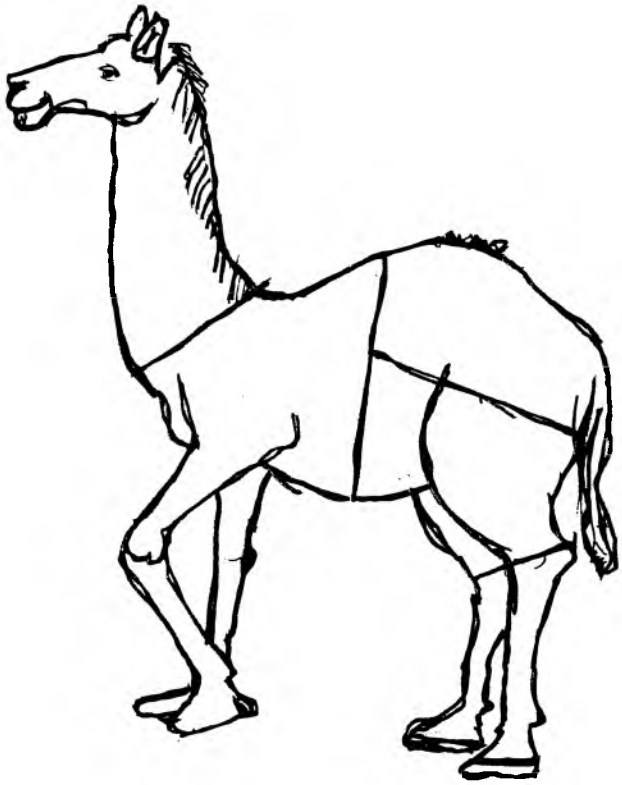

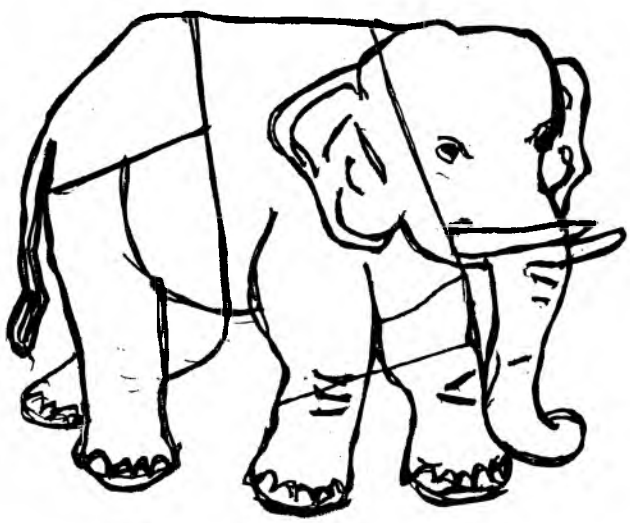

2.3 तृतीय दिन

भोजनपूर्व सत्र

विषय-वस्तु

1. अभियान-गीत (10 मिनट)
2. पिछले दिन के प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं आज के प्रतिवेदकों का चयन । (20 मिनट)
3. प्राथमिक-शिक्षा का सार्वजनीकरण एवं ग्राम शिक्षा समिति :— अवधारणा, स्वरूप, कार्य एवं दायित्व । (90 मिनट)

चाय (15 मिनट)

4. 'पंचायती राज' एवं 'ग्राम शिक्षा समिति' तथा अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम शिक्षा समिति का स्वरूप । (45 मिनट)
5. नेतृत्व क्षमता का विकास :—प्रतीकात्मक-खेल/अभ्यास । (90 मिनट)

दोपहर का भोजन (60 मिनट)

भोजनोपरांत सत्र (90 मिनट)

6. ग्राम शिक्षा समिति का संचालन :—

   बैठकों के आयोजन / संचालन की प्रक्रिया, बैठकों की कार्यवाही लिखने का तरीका, विद्यालय विकास-कोष की स्थापना एवं उसका संचालन आदि । (15 मिनट)

चाय

7. उत्तरदायित्व की समझ के लिए भारोत्तोलन अभ्यास । (45 मिनट)
8. पुनरावृत्ति/मूडोमीटर रात्रि के लिए स्वकार्य (30 मिनट)

2.3 तृतीय दिन

1. विषय-वस्तु (10 मिनट)

अभियान-गीत

- पूर्व की भाँति साधनसेवी आज किसी नये अभियान गीत जैसे–'घर-घर में शिक्षा का दीप जलाना है.....' से शुरूआत कर सकते हैं ।

2. विषय-वस्तु (20 मिनट)

पिछले दिन के प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं आज के प्रतिवेदकों का चयन ।

- पूर्व की भाँति ही साधनसेवी सारी प्रक्रिया अपनाएँगे ।

3. विषय-वस्तु (90 मिनट)

प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण एवं ग्राम शिक्षा समिति :– अवधारणा, स्वरूप, कार्य एवं दायित्त्व ।

3.1 उद्देश्य

- जिला प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम में ग्राम शिक्षा समिति के अस्तित्व एवं महत्त्व के संबंध में अवगत कराना ।
- ग्राम शिक्षा समिति के कार्य एवं दायित्व के प्रति संवेदनशील बनाना तथा सदस्यों में जागरूकता विकसित करना ।
- समिति को संचालित करने के लिए क्षमता का विकास करना ।

3.2 विधि

केस-स्टडी एवं छोटे-बड़े समूह में चर्चा ।

3.3 प्रक्रिया

साधनसेवी बड़े समूह में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति की अवधारणा, स्वरूप, कार्य एवं दायित्व के बारे में जानकारी देंगे । इसके

बाद बड़े समूह को पाँच दलों में बाँटकर सफल ग्राम शिक्षा समिति से संबंधित निर्मित **केस स्टडी** पर समूह चर्चा कराएँगे ।

केस-स्टडी पर समूह चर्चा के निम्न बिन्दु हो सकते हैं :—

- ग्राम शिक्षा समिति ने विद्यालय, विकास, नामांकन एवं ठहराव वृद्धि, शिक्षा में गुणात्मक विकास हेतु तथा नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कौन-सा कार्य किया ।
- कार्यों को करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति की क्या करना पड़ा ।
- सदस्यों की भूमिका कैसी थी ।
- अध्यक्ष, सचिव तथा सदस्यों के बीच किस तरह का समन्वय था ।
- सफल ग्राम शिक्षा समिति की किन्हीं दो मुख्य विशेषताओं को बताएँ ।

समूह-चर्चा के लिए 45 मिनट दिए जाएँ, समूह-कार्य के उपरांत बड़े समूह में प्रस्तुति कराई जाए तथा चर्चा की जाए । अन्त में साधनसेवी अपना मन्तव्य देंगे ।

3.4 सामग्री

केस-स्टडी संबंधी हस्त-पत्र, ग्राम शिक्षा समिति मॉड्यूल की प्रतियाँ आदि ।

3.5 निष्कर्ष

प्रतिभागियों में एक अच्छी ग्राम शिक्षा समिति के बारे में चेतना का विकास ।

3.6 सावधानी

जो केस-स्टडी बनेगी, उसमें नामांकन वृद्धि, ठहराव में वृद्धि, शिक्षा के स्तर में गुणात्मक उपलब्धि बढ़ाने, विद्यालय के विकास-संबंधी कार्यों का आवश्यक विवरण हों।

4. विषय-वस्तु (45 मिनट)

पंचायती राज एवं ग्राम शिक्षा समिति तथा अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम शिक्षा समिति का स्वरूप ।

4.1 उद्देश्य

- प्रतिभागियों में नये पंचायती राज कानून के बारे में सामान्य समझ विकसित करना तथा बिहार में पंचायती राज अधिनियम के लागू होने की स्थिति में वर्तमान ग्राम शिक्षा समिति का क्या स्वरूप होगा, उस पर विचार करना ।

- संसद द्वारा पारित पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों जिसमें बिहार राज्य के 112 प्रखंड शामिल हैं, उनमें ग्राम शिक्षा समितियों के स्वरूप के बारे में प्रतिभागियों को जागरूक बनाना ।

4.2 विधि

दिमागी कसरत (Brain Storming)/समूह-चर्चा ।

4.3 प्रक्रिया

साधनसेवी को नए पंचायती राज कानून तथा पंचायती उपबंध अधिनियम 1996 के बारे में पहले से तैयार हस्त-पत्रों का वितरण करने के पश्चात समूह-चर्चा कराएँगे । चूँकि, बिहार में अभी नया पंचायती राज कानून लागू नहीं हुआ है, अतः इस कानून के लागू होने की स्थिति में किस प्रकार वर्तमान ग्राम शिक्षा समिति उसकी एक उप समिति के रूप में कार्य करेगी । इसके बारे में दिमागी कसरत विधि से प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाओं को चार्ट-पेपर पर साधनसेवी अंकित करते जाएँगे और अंत में अपनी बात रखते समय सबको यह स्पष्ट करेंगे कि राज्य-सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए जानेवाले नये कानून के प्रावधानों के अनुसार ही जैसी भी स्थिति होगी, भविष्य में ग्राम शिक्षा समितियों का गठन/पुनर्गठन हो जाएगा ।

4.4 सामग्री

श्यामपट, चॉक, डस्टर, चार्ट-पेपर, स्केच-पेन इत्यादि ।

4.5 निष्कर्ष

ग्राम शिक्षा समिति तथा नयी पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्संबंधों के बारे में सही समझ का विकास ।

4.6 सावधानी

प्रस्तुतिकरण में इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि किसी भी स्थिति में वर्तमान में गठित /पुनर्गठित ग्राम शिक्षा समितियों का नये पंचायती राज व्यवस्था के साथ किसी भी प्रकार की संघर्ष की स्थिति न बनें और और वे बदली हुई परिस्थितियों में स्वभाविक रूप से पंचायत की एक उपसमिति के रूप में कार्य कर सकें ।

5. विषय-वस्तु (90 मिनट)

नेतृत्व क्षमता का विकासः—प्रतीकात्मक खेल/अभ्यास ।

5.1 उद्देश्य

सशक्त ग्राम शिक्षा समिति की स्थापना हेतु प्रतिभागियों में नेतृत्व-क्षमता का विकास करना ।

5.2 विधि

कागज की नाव बनाने संबंधी खेल/अभ्यास ।

5.3 प्रक्रिया

साधनसेवी प्रतिभागियों के पूरे समूह को तीन छोटे समूह में बांटकर अलग-अलग गोलाकार बैठाएँगे । अब प्रत्येक समूह से एक-एक सदस्य को संकेत के माध्यम से बारी-बारी से बाहर बुलाया जाएगा । प्रत्येक समूह से आए हुए प्रतिभागी सदस्यों को अपने दल में निम्नलिखित भूमिका अदा करने के लिए कहा जाएगा :—

- तानाशाह नेता की भूमिका ।
- निष्क्रिय नेता की भूमिका ।
- सहभागिता आधारित नेता की भूमिका ।

इसके पश्चात उपर्युक्त सदस्य अपने-अपने दल में जाकर बैठ जाएँगे तथा समूह के सदस्यों को इस संबंध में कुछ नहीं बताएँगे । प्रत्येक समूह को पुराना अखबार उपलब्ध करा दिया जाएगा एवं उनसे 15 मिनट में 100 कागज की नाव समूह के सदस्यों की सहायता से बनाने के लिए कहा जाएगा । अभ्यास शुरू होते ही वे तीनों नेता दिए गए निर्देशानुसार अपने-अपने दल में भूमिका अदा करेंगे । साधनसेवी प्रत्येक दल में जाकर नियमों के अनुसार कार्य हो रहा है कि नहीं देखेगें । समय-समाप्ति के बाद निम्न प्रश्न प्रत्येक समूह से करेंगे :–

- किस समूह में कितनी नाव बनी ?
- ज्यादा बना तो क्यों तथा कम बना तो क्यों ?
- दल के नेता की क्या भूमिका थी ? बारी-बारी से अनुभव की जानकारी ।
- किस दल के नेता बेहतर नेतृत्व कर रहे थे और कैसे ?
- अन्त में साधनसेवी अपना भी मन्तव्य देंगे ।

5.4 सामग्री

पुराना अखबार, चार्ट-पेपर, स्केच-पेन, श्यामपट, चॉक, डस्टर आदि ।

5.5 निष्कर्ष

नेतृत्व-शक्ति का विकास, तथा सामूहिक सहभागिता के बारे में समझ का विकास ।

5.6 सावधानी

- साधनसेवी प्रत्येक समूह नेता की भूमिका तथा समूह पर परिलक्षित होनेवाले नकारात्मक एवं सकारात्मक प्रभावों का ध्यान से अवलोकन करेंगे ।
- इस अभ्यास के माध्यम से ग्राम शिक्षा समिति में सहभागिता आधारित नेतृत्व की आवश्यकता एवं उसके महत्त्व को भी साधनसेवी अवश्य ही उभारेंगे ।

6. विषय-वस्तु (90 मिनट)

ग्राम शिक्षा समिति का संचालन :—

- बैठकों के आयोजन/संचालन की प्रक्रिया,
- बैठकों की कार्यवाही लिखने का तरीका,
- विद्यालय विकास-कोष की स्थापना एवं उसका संचालन आदि ।

6.1 उद्देश्य

- बैठक संचालन एवं कार्यवाही लिखने के तरीकों की जानकारी प्रदान करना तथा विद्यालय विकास-कोष/संयुक्त खाता संचालन हेतु प्रतिभागियों को तैयार करना ।
- ग्राम शिक्षा समिति के विधिवत संचालन तथा उसके स्थायित्व के महत्त्व के प्रति प्रतिभागियों को जागरूक बनाना तथा उनकी क्षमता का विकास ।

6.2 विधि

रोल प्ले ।

6.3 प्रक्रिया

साधनसेवी शिक्षा समिति को संचालित करने के विभिन्न आवश्यक पहलुओं की जानकारी देंगे, यथा :—

- बैठक का आयोजन,
- बैठक की कार्यवाही-लेखन,
- विद्यालय विकास-कोष का आय-व्यय संधारण,
- प्रस्ताव पारित करने का तरीका,
- अन्य शैक्षिक विकास से संबंधित कार्यक्रम ।

इसके पश्चात साधनसेवी द्वारा बताए गए तरीकों के अनुसार प्रतिभागियों को बारी-बारी से बुलाएँगे तथा उपर्युक्त बिन्दु के अनुसार रोल प्ले करने के लिए कहेंगे । प्रत्येक प्रतिभागी की प्रस्तुति के पश्चात प्रतिभागियों से प्रतिक्रियाएँ ली जाएंगी तथा आवश्यक सुधार किए जाएँगे । बैठक की कार्यवाही तथा आय-व्यय का ब्यौरा रखने एवं बैंक में संयुक्त रूप से खाता-संचालन के लिए अलग से भी साधनसेवी व्यवहारिक जानकारी देंगे ।

6.4 सामग्री

हस्त-पत्र, श्यामपट, चॉक, डस्टर, चार्ट-पेपर, स्केच-पेन आदि ।

6.5 निष्कर्ष

प्रतिभागियों में ग्राम शिक्षा समिति के विधिवत संचालन हेतु कौशल का विकास ।

6.6 सावधानी

- ☐ विषय से विषयान्तर होने की संभावना है तथा विषय-वस्तु की पुनरावृति बार-बार करने की आवश्यकता हो सकती है ।
- ☐ सहज भाषा का प्रयोग करना श्रेयस्कर होगा ।

7. विषय-वस्तु

[45 मिनट]

उत्तरदायित्व की समझ के लिए भारोत्तोलन-अभ्यास ।

7.1 उद्देश्य

ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को अपने कार्यों एवं दायित्वों के प्रति संवेदनशील बनाना तथा उनमें जागरूकता विकसित करना ।

7.2 विधि

रोल-प्ले (अभिनय) ।

LIBRARY & DOCUMENTATION Unit
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-9891
Date 27-7-98

7.3 प्रक्रिया

साधनसेवी बड़े समूह में से पाँच प्रतिभागियों को स्वेच्छा से आने को कहेंगे। पाँच कार्ड पर बड़े अक्षरों में अध्यक्ष, सचिव, एक महिला सदस्या तथा दो अन्य सदस्य लिखकर फर्श पर अलग-अलग जगहों में रखेंगे। बारी-बारी से पाँचों सदस्यों को एक-एक कार्ड उठाने के लिए कहेंगे। तत्पश्चात पाँचों सदस्यों को कक्षा से बाहर लाएँगे। प्रत्येक सदस्य को दायित्वों की जानकारी देते हुए दायित्व सौंपे जाएँगे। वे उत्तरदायित्व निम्न होंगे :–

- वातावरण-निर्माण।
- सर्वेक्षण (शिशु-गणना)।
- विद्यालय में शिक्षकों की कमी होने की दशा में ग्राम स्तर पर ही स्वेच्छया से पढ़ाने हेतु स्वत: प्रेरणा से युवकों एवं युवतियों की व्यवस्था करना।
- विद्यालय में उपस्थिति का अनुश्रवण।
- मुफ्त वितरित पाठ्य-पुस्तकों का अनुश्रवण
- मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से दुर्बल एवं अपंग बच्चों का नामांकन।
- अनामांकित बच्चों को विद्यालय में लाना।
- ठहराव-वृद्धि के प्रयत्न करना।
- बच्चियों का नामांकन ठहराव सुनिश्चित कराना।
- अनुसूचित-जाति / अनुसूचित-जनजाति के बच्चों का नामांकन,
- ठहराव सुनिश्चित कराना।
- विद्यालय की देख-रेख
- विद्यालय की मरम्मत इत्यादि।
- विद्यालय में अच्छी पढ़ाई हो, इसके उपाय करना।

अब दायित्वों को समझाते हुए यह बताया जाए कि अधिकांश दायित्व शिक्षक / सचिव पर सौंप देना है। बड़े समूह में बताए निर्देश के अनुरूप सभी पाँचों प्रतिभागी रोल-प्ले करेंगे। रोल-प्ले को करने के लिए विद्यालय-परिसर में वार्षिक-महोत्सव मनाने की कल्पना रखी जाएगी। इस वार्षिक उत्सव को सफल बनाने के लिए ऊपर में बताए गए निर्देश के अनुरूप दायित्वों का ज्यादा हिस्सा रस्सी में बंधे ईट के टुकड़ों को प्रतीक मानकर सचिव के हाथ में बाँधते जाएँगे। इस तरह सभी दायित्व शिक्षक पर केन्द्रित होगा। परिणामत: शिक्षक के रूप में भाग लेने वाले प्रतिभागी का हाथ बोझ के कारण दब जाएगा या वह अपने बोझ को पटक देगा।

इसके पश्चात बड़े समूह से प्रतिक्रिया ली जाए। प्रतिक्रियाओं को श्यामपट पर अंकित किए जाएँ। सचिव, जिनके हाथ में अधिक बोझ था; उनकी भी प्रतिक्रिया ली जाएगी। अन्त में उत्तरदायित्व-निर्वहन के संबंध में साधनसेवी अपना मन्तव्य देंगे।

7.4 सामग्री

ईट के टुकड़े, सुतली, चार्ट-पेपर, स्केच-पेन, आदि।

7.5 निष्कर्ष

कार्य एवं दायित्वों की समझ का विकास।

7.6 सावधानी

- ☐ अभ्यास की पूर्व तैयारी कर ली जाए।
- ☐ निर्देशों का सही पालन हो, इस पर ध्यान दिया जाए।

8. विषय-वस्तु [30 मिनट]

पुनरावृत्ति / मूडोमीटर / स्वकार्य इत्यादि।

2.4 चतुर्थ दिन

भोजनपूर्व सत्र

विषय-वस्तु

1. अभियान-गीत [10 मिनट]
2. पिछले दिन के प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं आज के प्रतिवेदकों का चयन [20 मिनट]
3. ग्रामीण-विकास कार्यक्रमों की जानकारी [45 मिनट]
4. ग्राम शिक्षा रजिस्टर क्या, क्यों एवं कैसे तथा उसका संचारण। [45 मिनट]

चाय [15 मिनट]

5. ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण :– [135 मिनट]
   - ☐ सूक्ष्मस्तरीय-नियोजन की अवधारणा।
   - ☐ सूचनाओं का संकलन / प्रपत्रों की जानकारी।
   - ☐ समेकित सूचनाओं का विश्लेषण।
   - ☐ ग्राम शिक्षा रजिस्टर का निर्माण।
   - ☐ समस्याओं / संसाधनों की पहचान।
   - ☐ कार्ययोजना का निर्माण।

दोपहर का भोजन [60 मिनट]

भोजनोपरांत सत्र

6. क्षेत्र कार्य / फील्ड वर्क
7. क्षेत्र कार्य / फील्ड वर्क से संबंधित रात्रि में स्वकार्य।

2.4 चौथा दिन

1. विषय - वस्तु [10 मिनट]

अभियान-गीत

- पूर्व की भाँति आज भी किसी नए अभियान-गीत को सभी प्रतिभागी एवं साधनसेवी मिलकर गाएँगे।

2. विषय - वस्तु [20 मिनट]

पिछले दिन के प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं आज के प्रतिवेदकों का चयन।

- साधनसेवी पिछले दिनों की भाँति ही प्रक्रिया अपनाएँगे।

3. विषय - वस्तु [45 मिनट]

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की जानकारी।

3.1 उद्देश्य

- गाँवों में चल रहे विभिन्न सरकारी / गैर सरकारी तथा क्षैक्षणिक /गैर शैक्षणिक विकासात्मक कार्यक्रमों की जानकारी से अवगत होना।
- सूचना के अधिकार की अवधारणा को सशक्त करना तथा विकास के कार्यक्रमों के प्रति पारदर्शिता कायम करना।
- सरकारी कार्यक्रमों के प्रति लोगों की नकारात्मक धारणाओं को सकरात्मक बनाना।

3.2 विधि

दिमागी कसरत / बड़े समूह में विभिन्न योजनाओं पर चर्चा।

3.3 प्रक्रिया

साधनसेवी गाँवों में संचालित विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं के बारे में हस्त-पत्र या संबंधित विभागों/संस्थाओं द्वारा प्रकाशित दस्तावेजों के माध्यम से प्रतिभागियों को अपेक्षित जानकारी से अवगत कराएँगे। इसके अतिरिक्त प्रखंड के वैसे सक्षम अधिकारी, जो विकास के कार्यक्रमों से सीधे जुड़े हैं; उनको यथासंभव आमंत्रित कर योजनाओं के बारे में वास्तविक जानकारी भी लेंगे।

साधनसेवी विभिन्न योजनाओं की क्रियान्वयन-प्रक्रिया के संबंध में भी प्रतिभागियों के साथ जानकारियों का आदान-प्रदान करेंगे।

3.4 सामग्री

विभिन्न योजनाओं के बारे में तैयार किया गया हस्त-पत्र/संबंधित विभागों एवं संस्थाओं द्वारा प्रकाशित बुकलेट आदि।

3.5 निष्कर्ष

जानकारी के अभाव में योजनाएँ या तो लौट जाती हैं, या असफल हो जाती हें।

योजनाओं के असफल होने के अन्य कारणों की पहचान।

विभिन्न योजनाओं की सही जानकारी, जैसे : जे. आर. वाई. (J.R.Y.). आई. आर. डी. पी. (I.R.D.P.), आई. सी. डी. एस. (I.C.D.S.) आदि, सुनिश्चित रोजगार योजना, सघन रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना, डवाकरा, ट्राइसेम, वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, मातृत्त्व अनुदान कार्यक्रम, जल छाजन योजना, प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, पंचायती राज, एन. वाई. के. व्यावसायिक प्रशिक्षण, महिला विकास एवं किसानों से संबंधित अन्य योजनाएँ। सामाजिक योजना, नलकूप योजना, ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास हेतु अन्यान्य योजनाएँ।

3.6 सावधानी

साधनसेवी को यह ध्यान रखना होगा कि पहले से आमंत्रित व्यक्ति/अधिकारी की पूर्व सूचना प्रशिक्षण-कक्ष में न दें। लेकिन यथासंभव कोशिश रहे कि संबंधित व्यक्ति निर्धारित समयानुसार अवश्य ही प्रशिक्षण में भाग लें।

4. विषय - वस्तु [45 मिनट]

ग्राम शिक्षा रजिस्टर क्या, क्यों एवं कैसे तथा उसका संधारण।

4.1 उद्देश्य

ग्राम शिक्षा रजिस्टर के संबंध में जानकारी तथा दस्तावेज बनाने संबंधी कौशल का विकास।

4.2 विधि

बड़े समूह में चर्चा।

4.3 प्रक्रिया

साधनसेवी यह जानकारी देंगे कि सूक्ष्मस्तरीय नियोजन के क्रम में तथा विभिन्न माध्यमों से विभिन्न तरह के आँकड़े एवं सूचनाएँ प्राप्त किए जाएँगे। इन सूचनाओं को एक संचिका में दस्तावेजीकरण करना ही 'ग्राम-शिक्षा रजिस्टर' है। ग्राम शिक्षा रजिस्टर में निम्नलिखित आँकड़ों को शामिल किया जाएगा :–

- ☐ नजरी नक्शा।
- ☐ शैक्षिक तस्वीर।
- ☐ गाँव के 6-11 वर्ष के सभी बच्चों की सूची।
- ☐ सर्वेक्षण का समेकित विवरण।
- ☐ गाँव से संबंधित सूचनाएँ / इतिहास।
- ☐ शैक्षिक समस्याओं से जुड़ी सूची।

- योजना-निर्माण के क्रम में आयोजित बैठक की कार्यवाही।
- ग्राम-शिक्षा योजना।
- ग्राम-शिक्षा समिति के सदस्यों की सूची।

'ग्राम शिक्षा रजिस्टर की आवश्यकता क्यों', को साधनसेवी निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं :–

- गाँव की शैक्षिक स्थिति को जानने के लिए।
- शत प्रतिशत नामांकन, ठहराव संबंधी योजना बनाने के लिए।
- विद्यालय के भौतिक सुधार हेतु योजना-निर्माण के लिए।

ग्राम-शिक्षा रजिस्टर का संचारण समिति के सदस्यों द्वारा की जाएगी तथा प्रत्येक वर्ष इसे अद्यतन किया जाएगा। परिचर्चा में साधनसेवी इस बात की जानकारी अवश्य दें कि ग्राम शिक्षा रजिस्टर का निर्माण ग्राम-शिक्षा योजना निर्माण के पूर्व हो जाना आवश्यक है; ताकि एक संतुलित ग्राम-शिक्षा योजना का निर्माण किया जा सके।

4.4 सामग्री

श्यामपट, चॉक, डस्टर, हस्त-पत्र / नमूना आदि।

4.5 निष्कर्ष

ग्राम शिक्षा रजिस्टर तैयार करने की पूरी प्रक्रिया एवं उसके महत्व के प्रति प्रतिभागियों में संचेतना का विकास।

4.6 सावधानी

- ग्राम शिक्षा रजिस्टर तैयार करने की प्रक्रिया को क्रमबद्ध ढंग से बताया जाए।
- साधनसेवी अपने पास एक-दो प्रति नमूना के रूप में रखें और उसे प्रदर्शित कर दें।

5. विषय - वस्तु | 135 मिनट |

ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण :–

- ☐ सूक्ष्मस्तरीय नियोजन की अवधारणा।
- ☐ सूचनाओं का संकलन / प्रपत्रों की जानकारी।
- ☐ समेकित सूचनाओं का विश्लेषण।
- ☐ ग्राम शिक्षा रजिस्टर का निर्माण।
- ☐ समस्याओं / संसाधनों की पहचान।
- ☐ कार्ययोजना का निर्माण।

5.1 उद्देश्य

- ☐ सूक्ष्मस्तरीय नियोजन की अवधारणा एवं आवश्यकता के बारे में समझ विकसित करना।
- ☐ सूचनाओं के संग्रहण संबंधी विभिन्न प्रपत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करना।
- ☐ सूक्ष्मस्तरीय नियोजन के विभिन्न चरणों एवं ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की पूरी प्रक्रिया से प्रतिभागियों को परिचित कराना।

5.2 विधि

छोटे-बड़े समूह में चर्चा।

5.3 प्रक्रिया

ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की पूरी प्रक्रिया से प्रतिभागियों को अवगत कराने के लिए साधनसेवी प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु सूक्ष्मस्तरीय नियोजन मॉड्यूल / प्रसून के संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण - 1988 में शामिल किए गए विभिन्न चरणों को

आधार बनाकर छोटे-छोटे समूहों में चर्चा कराएँगे और प्रत्येक समूह प्रस्तुति के पश्चात आवश्यकतानुसार संबंधित विषयों पर प्रकाश डालेंगे। ग्राम शिक्षा योजना निर्माण के क्रम में निम्न बिन्दु अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं :–

- घर-घर / परिवार–सर्वेक्षण।
- बाल-पंजी का आकलन।
- शैक्षिक तस्वीर का निर्माण।
- नजरी नक्शा।
- गाँव के उन पढ़े-लिखे लोगों की पहचान जो विद्यालय में स्वेच्छया शिक्षा दान करने में तत्पर हों।
- विद्यालय संबंधी सूचनाओं का आकलन।
- सूचनाओं का संकलन / विश्लेषण।
- समस्याओं की पहचान।
- संसाधनों की पहचान।
- गाँव के सहयोग से संसाधन जुटाने का प्रयास।
- कार्ययोजना का निर्माण।

5.4 सामग्री

प्रसून, चार्ट-पेपर, स्केच-पेन आदि।

5.5 निष्कर्ष

प्रतिभागियों में सूक्ष्मस्तरीय नियोजन की प्रक्रिया के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण करने हेतु कौशल का विकास।

5.6 सावधानी

प्रतिभागियों को समूहों में बाँटते समय साधनसेवी इस बात पर ध्यान देंगे कि प्रत्येक समूह में वैसे पढ़े-लिखे सदस्य अवश्य शामिल हों, जो कम पढ़े-लिखे अथवा निरक्षर सदस्यों के विचारों को लिपिबद्ध कर सकें।

6. विषय - वस्तु

| 180 मिनट |

क्षेत्र कार्य / फिल्ड वर्क।

6.1 उद्देश्य

- प्रतिभागियों में सूक्ष्मस्तरीय नियोजन की प्रक्रिया के अन्तर्गत **ग्राम शिक्षा योजना** निर्माण हेतु आवश्यक समझ विकसित करना।
- प्रतिभागियों में घर-घर / परिवार-परिवार सूचना एकत्र करने तथा उसका संकलन करने की क्षमता विकसित करना।

6.2 विधि

छोटे-छोटे समूहों में सूक्ष्मस्तरीय नियोजन का व्यवहारिक अभ्यास।

6.3 प्रक्रिया

प्रतिभागियों को चार छोटे-छोटे समूहों में बाँटकर निकटवर्ती किसी गाँव में सूक्ष्मस्तरीय नियोजन का व्यवहारिक अभ्यास करने के लिए साधनसेवी उन्हें वहाँ ले जाएँगे। व्यवहारिक अभ्यास की समाप्ति के पश्चात प्रत्येक समूह अपने-अपने अनुभवों को चार्ट-पेपर पर अंकित करेगा और सभी प्रकार की संकलित सूचनाओं के विश्लेषण के आधार पर **ग्राम शिक्षा योजना** का भी निर्माण करेगा।

6.4 सामग्री

सर्वेक्षण-प्रपत्र, नोट-बुक, पेंसिल, चार्ट-पेपर, स्केच-पेन आदि।

6.5 निष्कर्ष

ग्राम शिक्षा योजना निर्माण करने के संबंध में व्यवहारिक जानकारी।

6.6 सावधानी

चयनित गाँव के चार हिस्सों/टोलों में ही प्रत्येक समूह को सूक्ष्मस्तरीय नियोजन का व्यवहारिक अभ्यास कराना उपयुक्त रहेगा।

2.5 पंचम दिन

भोजनपूर्व सत्र

विषय-वस्तु

1.	अभियान-गीत।	[10 मिनट]
2.	पिछले दिन के प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं आज के प्रतिवेदकों का चयन।	[20 मिनट]
3.	क्षेत्र-कार्य / फील्ड-वर्क की प्रस्तुति तथा अनुभवों का आदान-प्रदान।	[90 मिनट]

चाय [15 मिनट]

4.	विद्यालयों के शैक्षिक एवं भौतिक स्तर में सुधार हेतु **ग्राम शिक्षा योजना** निर्माण की समझ।	[60 मिनट]
5.	शैक्षिक प्रबंधन सूचना-प्रणाली	[45 मिनट]
6.	उपस्थिति प्रबंधन सूचना-प्रणाली	[30 मिनट]

दोपहर का भोजन

भोजनोपरांत सत्र

सुस्ती-तोड़ खेल [30 मिनट]

7.	प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत क्या करेंगे ?, क्यों करेंगे ?, कैसे करेंगे, कब करेंगे ?	[60 मिनट]

चाय [15 मिनट]

8.	पुनरावृत्ति / मूडोमीटर	[45 मिनट]
9.	समापन सत्र	[30 मिनट]

2.5 पंचम दिन

1. विषय - वस्तु | 10 मिनट |

अभियान-गीत

- पिछले दिनों की भाँति ही आज भी किसी नए अभियान-गीत को सभी लोग मिलकर गाएँगे। साधनसेवी यदि चाहें तो 'हम होंगे कामयाब एक दिन ..... ' गीत से आज के दिन की शुरूआत कर सकते हैं।

2. विषय - वस्तु | 20 मिनट |

पिछले दिन के प्रतिवेदन की प्रस्तुतिकरण एवं आज के प्रतिवेदकों का चयन।

- प्रतिदिन की भाँति आज भी साधनसेवी उसी प्रक्रिया से गुजरेंगे।

3. विषय - वस्तु | 90 मिनट |

क्षेत्र कार्य / फिल्ड वर्क की प्रस्तुति तथा अनुभवों का आदान-प्रदान।

3.1 उद्देश्य

- सूक्ष्मस्तरीय नियोजन के विभिन्न चरणों के बारे में व्यवहारिक समझ का विकास।

- सूचना एकत्रकरण के विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरूकरता तथा सूचना एकत्र करने की कठिनाईयों का बोध।

3.2 विधि

समूह-प्रस्तुति एवं चर्चा।

3.3 प्रक्रिया

पिछले दिन किए गए फिल्ड वर्क से संबंधित समूह बारी-बारी से प्राप्त सूचनाओं को बड़े समूह में प्रस्तुत करेंगे तथा समूह के द्वारा शैक्षिक समस्याओं से जुड़ी सूचनाओं को रखेंगे। प्रस्तुति के निम्न बिन्दु होंगे :–

- ☐ गाँव की कुल जनसंख्या।
- ☐ 11/14 वर्ष के कुल बालक / बालिकाओं की संख्या। स्कूल जानेवाले, बीच में छोड़ने वाले एवं स्कूल कभी नहीं जाने वाले बालक / बालिकाओं की संख्या, विकलंगता-सर्वेक्षण इत्यादि।
- ☐ गाँव में उपलब्ध भौतिक संसाधन यथा विद्यालय / सामुदायिक भवन, डाकघर, अस्पताल, पेयजल / सड़क सुविधा।
- ☐ विद्यालय भवन की स्थिति, जमीन, कमरों की संख्या, बच्चों की संख्या, उपस्कर इत्यादि।
- ☐ ग्रामीणों की सहभागिता।

प्रस्तुति के उपरांत साधनसेवी फील्ड-वर्क के दौरान हुए अनुभवों का आदान-प्रदान एवं विश्लेषण बड़े समूह में कराएंगे।

3.4 सामग्री

चार्ट-पेपर, स्केच-पेन आदि।

3.5 निष्कर्ष

ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की पूरी प्रक्रिया एवं तकनीक के बारे में व्यापक समझ का विकास।

3.6 सावधानी

- ☐ अच्छे-बुरे सभी प्रकार के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए ही साधनसेवी ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की बारीकियों को प्रतिभागियों के बीच रखेंगे।
- ☐ परिचर्चा के दौरान विभिन्न समस्याओं के समाधान पर साधनसेवी अवश्य ही प्रकाश डालेंगे।

4. विषय - वस्तु

[60 मिनट]

विद्यालयों के शैक्षिक एवं भौतिक स्तर में सुधार हेतु ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की समझ।

4.1 उद्देश्य

ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की समझ विकसित करना एवं क्रियान्वयन हेतु क्षमता का विकास।

4.2 विधि

समूह-चर्चा।

4.3 प्रक्रिया

फिल्ड-वर्क प्रस्तुति के उपरांत बड़े समूह में विद्यालय का भौतिक विकास कैसे हो, इस प्रश्न को रखा जाएगा। पुन: समूह को अलग-अलग बैठकर किए गए फिल्ड वर्क से प्राप्त सूचनाओं एवं समस्याओं के आधार पर शत-प्रतिशत नामांकन, शत-प्रतिशत ठहराव तथा विद्यालय की भौतिक-सुधार हेतु ग्राम शिक्षा योजना निर्माण करने के लिए दिया जाएगा। ग्राम शिक्षा योजना निर्माण के पूर्व साधनसेवी ग्राम शिक्षा योजना से संबंधित आवश्यक बिन्दुओं की जानकारी सभी प्रतिभागियों को दे देंगे तथा इसकी प्रस्तुति कराएँगे

4.4 सामग्री

सादा कागज, स्केल, स्केच-पेन, चार्ट-पेपर आदि।

4.5 निष्कर्ष

विद्यालयों की शैक्षिक एवं भौतिक स्थिति में सुधार हेतु ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका का निर्धारण।

4.6 सावधानी

सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों एवं तथ्यों का विश्लेषण करते समय विद्यालयों के शैक्षिक एवं भौतिक स्तर में सुधार हेतु प्रतिभागियों की ओर से जो विचार आएँगे, उनको साधनसेवी समुचित महत्व प्रदान करेंगे तथा विद्यालय सुधार योजना के साथ उसके अर्न्तसंबंधों को भी रेखांकित करेंगे।

5. विषय - वस्तु

[45 मिनट]

शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली।

5.1 उद्देश्य

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली के महत्त्व तथा उसके आधार पर सूचनाओं के एकत्रीकरण में शिक्षकों को सहयोग देने संबंधी जानकारी देना।

5.2 विधि

बड़े समूह में चर्चा।

5.3 प्रक्रिया

साधनसेवी निर्धारित शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली प्रपत्र की प्रदर्शित करते हुए उसमें मांगी गई विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को शिक्षकों को प्रदान करने के लिए प्रतिभागियों के साथ विचार-विमर्श के पश्चात रणनीति तय करेंगे।

5.4 सामग्री

शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली प्रपत्र।

5.5 निष्कर्ष

शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली की सफलता को सुनिश्चित करना।

5.6 सावधानी

- साधनसेवी शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली प्रपत्र को पूर्व में ही समझ लें; ताकि चर्चा के दौरान उन्हें कोई कठिनाई न हो।
- प्रपत्र के बारे में परिचर्चा को रोचक बनाने का भरसक प्रयास किया जाए।

6. विषय - वस्तु

[30 मिनट]

उपस्थिति प्रबंधन सूचना-प्रणाली

6.1 उद्देश्य

बच्चों एवं शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना।

6.2 विधि

बड़े समूह में चर्चा।

6.3 प्रक्रिया

बिहार शिक्षा परियोजना, पटना द्वारा विकसित प्रपत्र के अनुसार साधनसेवी बड़े समूह में प्रतिभागियों से चर्चा करेंगे।

6.4 सामग्री

उपस्थिति प्रबंधन सूचना प्रणाली प्रपत्र।

6.5 निष्कर्ष

विद्यालयों में शिक्षकों एवं छात्रों की उपस्थिति का अनुश्रवण।

6.6 सावधानी

उपस्थिति के अनुश्रवण के प्रश्न पर यदि प्रतिभागियों में मतभेद हो, तो साधनसेवी चर्चा को सकारात्मक मोड़ दें।

7. विषय - वस्तु

[60 मिनट]

प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत क्या करेंगे?, क्यों करेंगे?, कैसे करेंगे ? और कब करेंगे ?

7.1 उद्देश्य

प्रशिक्षण के उपरांत सूक्ष्मस्तरीय नियोजन नहीं होने तक तथा सूक्ष्म स्तरीय नियोजन होने के पश्चात क्या करेंगे, के संबंध में दायित्वों के प्रति जागरूकरता विकसित करना।

7.2 विधि

छोटे-बड़े समूह में चर्चा।

7.3 प्रक्रिया

प्रतिभागियों को चार छोटे समूहों में बाँट दिया जाए तथा प्रत्येक समूह में एक-एक प्रशिक्षक भी अवश्य रहें। चारों समूहों के समक्ष निम्नलिखित प्रश्नों को चर्चा एवं साझी समझ हेतु रखें। यथा - प्रशिक्षण के पश्चात वे क्या करेंगे?, क्यों करेंगे?, कैसे करेंगे? तथा कब करेंगे? इस चर्चा के दो पक्ष होंगे :–

i. गाँव में सूक्ष्मस्तरीय नियोजन नहीं होने तक।

ii. सूक्ष्मस्तरीय नियोजन के पश्चात्।

चारों समूह अलग-अलग बैठकर उपर्युक्त प्रश्नों को केन्द्र-बिन्दु मानते हुए चर्चा करेंगे एवं रिपोटिंग तैयार करेंगे। इसके बाद बड़े समूह में प्रत्येक समूह की रिपोटिंग होगी। प्रस्तुति के अंत में साधनसेवी छुटे हुए बिन्दुओं को जोड़ते हुए सार-संक्षेपण कर दें तथा एक साझा कार्ययोजना का निर्माण प्रत्येक ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के लिए बनवा दें। प्रत्येक ग्राम शिक्षा समिति की साझा योजना की एक प्रति साधनसेवी अपने पास रख लेंगे; ताकि सुनियोजित ढंग से कार्ययोजना के अंतर्गत लिए गए कार्यों का अनुश्रवण किया जा सके।

7.4 सामग्री

चार्ट-पेपर, स्केच-पेन, सादा कागज, कार्बन, बॉल पेन आदि।

7.5 निष्कर्ष

प्रत्येक ग्राम शिक्षा समिति द्वारा साझा कार्ययोजना का निर्माण होगा, जिसके आधार पर भविष्य में अनुश्रवण किया जा सकेगा।

7.6 सावधानी

साधनसेवी प्रत्येक समूह में रहेंगे तथा चर्चा एवं प्रस्तुतिकरण के दौरान उभरनेवाले सभी महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं पर अपनी ओर से मतैक्य न होने की स्थिति में अपना मंतव्य देंगे।

साझा योजना का निर्माण करते समय आवश्यकतानुसार ही साधनसेवी आम सहमति के आधार पर अपने सुझावों को देंगे।

8. विषय - वस्तु | 45 मिनट |

पुनरावृत्ति / मूडोमीटर

- पूर्व की भाँति ही आज भी साधनसेवी प्रतिभागियों से गेंद के माध्यम से पुनरावृत्ति अभ्यास कराएँगे। किन्तु, फर्क सिर्फ इतना होगा कि आज प्रतिभागियों को प्रत्येक दिन की गतिविधियों को बारी-बारी से समूह के सामने रखना होगा। इसी प्रकार प्रत्येक प्रतिभागी से पाँचों दिन का प्रशिक्षण कैसा रहा, इसके बारे में मूडोमीटर के माध्यम से उनकी प्रतिक्रिया ली जा सकती है।

9. विषय -वस्तु | 30 मिनट |

समापन-सत्र

- समापन-सत्र के दौरान प्रत्येक ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष को अपना भावनात्मक उद्‌गार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है। अतं में, 'लें मशाले चल पड़े हैं, लोग मेरे गाँव के .....' अभियान-गीत से प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा।

3. परिशिष्ट

3.1 प्रशिक्षणार्थियों के लिए खेल

प्रशिक्षण के दौरान सुस्ती तोड़ खेल की अवधि में निम्नलिखित खेलों को साधनसेवी प्रयोग में ला सकते हैं :–

- ‘छोटा घड़ा, बड़ा घड़ा’ का खेल।
- ‘हाँ - ना’ का खेल।
- ‘रिंग-रिंग’ का खेल।
- ‘एक, दो, तीन, चार-सर पर हाथ रख’ का खेल।
- ‘मेरा दोस्त रामू खो गया है.....’ का खेल।

3.1.1 ‘छोटा घड़ा, बड़ा घड़ा’ का खेल

सभी प्रतिभागी गोलाई में खड़े हो जाएंगे तथा बीच में एक व्यक्ति रहेंगे। बीच वाले व्यक्ति गोलाई में खड़े किसी भी व्यक्ति से जाकर छोटा घड़ा कहेंगे; परन्तु हाथ से संकेत बड़ा घड़ा का करेंगे। इसके उत्तर में वह व्यक्ति (जिनसे छोटा घड़ा कहा गया है) बड़ा घड़ा कहेंगे; परन्तु हाथ से संकेत छोटा घड़ा का करेंगे। विपरीत उत्तर देने और हाथ से संकेत करने में यदि प्रतिभागी से गलती होती है, तो वह चोर बनेंगे और पहले से चोर बने व्यक्ति उस व्यक्ति का स्थान ले लेंगे। इस बार चोर बने व्यक्ति पुनः उसी क्रम को चालू रखेंगे। यदि कोई प्रतिभागी लगातार तीन प्रयासों के बाद भी चोर बने रहते हैं, तो समूह उन्हें कोई भी दंड यथा नाचना, गाना, चुटकुले सुनाना आदि दे सकता है।

चोर बने व्यक्ति बड़ा घड़ा या छोटा घड़ा दोनों में से कोई भी प्रश्न पहले पूछ सकते हैं।

3.1.2 'हाँ-ना' का खेल

सभी प्रतिभागी गोलाई में खड़े रहेंगे तथा बीच में एक व्यक्ति रहेंगे। बीच वाला व्यक्ति गोलाई में खड़े व्यक्ति से कोई भी प्रश्न, जैसे :– आपने चश्मा पहना है? क्या आपके पास लाल पेन है? आदि पूछेंगे। प्रश्न पूछे गए व्यक्ति के पास यदि वह वस्तु है तो उन्हें ''हाँ'' कहना है; परन्तु सर से इशारा ''ना'' का करना होगा। इसी तरह यदि प्रश्न पूछे गए व्यक्ति के पास वह वस्तु नहीं हो तो उन्हें ''ना'' कहना होगा, पर सर से संकेत ''हाँ'' का करना होगा। प्रश्न पूछे गए प्रतिभागी यदि ''हाँ'' के लिए संकेत ''हाँ'' का तथा ''ना'' के लिए ईशारा ''ना'' का करते हैं, तो वे चोर बन जाएँगे और प्रश्न पूछने की प्रक्रिया वे अब स्वयं दुहराएँगे। यदि चोर बने प्रतिभागी तीन बार लगातार गलती करते हैं, तो समूह जो भी दंड यथा :– नाचना, गाना, हँसना, रोना इत्यादि कहेगा वह उन्हें मान्य होगा। दंड पूरा करने वाले व्यक्ति आखिरी बार जिनसे प्रश्न पूछे थे, अब वे चोर बनेंगे और इस प्रकार खेल का क्रम जारी रहेगा।

3.1.3 रिंग-रिंग का खेल

सभी प्रतिभागी गोलाई में खड़े हो जाएँगे। गोलाई के बीच में साधनसेवी या कोई एक प्रतिभागी रिंग-रिंग कहना शुरू करेंगे। ज्योंहि बीच वाले व्यक्ति रिंग-रिंग कहना शुरू करेंगे, गोलाई में खड़े प्रतिभागी गण गोलाई में ही दौड़ते रहेंगे और रिंग-रिंग बोलते रहेंगे। बीच में खड़े व्यक्ति भी गोलाई में दौड़ रहे प्रतिभागियों के साथ दौड़ते रहेंगे। बीच वाले व्यक्ति जैसे ही स्टॉप (STOP) कहेंगे, वैसे ही सभी प्रतिभागी अपने स्थान पर कोई अभिनय करते हुए रूक जाएँगे। अब बीच वाले व्यक्ति किसी भी प्रतिभागी के पास जाकर उन्हें हँसाने की कोशिश करेंगे। यदि वे हँसाने में सफल हो जाते हैं तो हँसने वाले व्यक्ति बीच में आ जाएँगे और पुनः यह खेल शुरू हो जाएगा। परन्तु यदि प्रतिभागी नहीं हँसते हैं, तो उस व्यक्ति को फिर किसी दूसरे प्रतिभागी को हँसाने की कोशिश करनी होगी। यदि तीन बार बीच वाले व्यक्ति हँसाने में सफल नहीं होते हैं, तो उन्हें समूह द्वारा दिया गया दंड जैसे :– नाचना, गाना इत्यादि मान्य होगा।

3.1.4. 'एक, दो, तीन, चार - सर पर हाथ रख' का खेल

सभी प्रतिभागी गोलाई में खड़े हो जाएँगे। साधनसेवी बीच में खड़ा रहेंगे। साधनसेवी प्रतिभागियों को 1,2,3,4 गिनती गिनने को कहेंगे; परन्तु इसमें शर्त होगा कि ''गिनने

के क्रम में 5,10,15,20,25.... (जो संख्या 5 से विभाजित होती है) उसे बोलना नहीं है और उसके स्थान पर अपने सर पर बाँये या दाँये हाथ को रखना है। यदि नम्बर की गिनती बाँई ओर से आ रही हो और 5 नहीं बोलने वाले व्यक्ति अपने सर पर बाँया हाथ रख देते हैं, तो उनके दाहिने तरफ का व्यक्ति 6 बोलेंगे और इस तरह गिनती आगे बढ़ती जाएगी; परन्तु यदि 5 नहीं बोलने वाले व्यक्ति अपने सर पर दाहिना हाथ रख देते हैं तो नम्बर वापस हो जाएगा और उनके बगल का यानी बाई ओर का व्यक्ति 1 और उसके बगल का 2 और इस तरह नम्बर आगे बढ़ता जाएगा। जो व्यक्ति 5,10,15,20,25... बोल देंगे या देर से सर पर हाथ रखेंगे तो उन्हें आऊट (OUT) कर दिया जाएगा यानी बीच में बैठा दिया जाएगा।

3.1.5. 'मेरा दोस्त रामू खो गया है.....' का खेल

इस खेल को बैठकर ही खेलना है। सबसे पहले साधनसेवी अपने बगल वाले व्यक्ति से पूछेंगे कि मेरा दोस्त रामू खो गया है, क्या आपने उसे देखा है? इसके उत्तर में बगल वाले व्यक्ति जवाब देंगे- नहीं, मैं अपने बगल वाले से पूछ कर बताता हूँ। फिर वे अपने बगल वाले व्यक्ति से वहीं प्रश्न पूछेंगे; जिसे साधनसेवी ने उनसे पूछा था। उनके बगल के व्यक्ति भी उन्हीं की तरह जवाब देंगे - नहीं, मैं अपने बगल वाले से पूछ कर बताता हूँ और यह क्रम एक-एक कर चलता रहेगा। अब साधनसेवी घोषणा करेंगे कि इस प्रश्न को अब पुनः हमलोग एक-दूसरे से उसी प्रकार से पूछेंगे; परन्तु इस बार शर्त यह है कि प्रश्न पूछते समय या जवाब देते समय किसी को भी अपने दाँत नहीं दिखाने हैं और इस प्रकार हँसी-ठहाकों के बीच यह क्रम जारी रहेगा। किन्तु 15-20 प्रतिभागियों के बीच ही खेल को खेलकर समाप्त कर दिया जान चाहिए, अन्यथा ज्यादा वक्त खेल में चला जाएगा।

NIEPA DC
D09891
LIBRARY & DOCUMENTATION DEPTT.
National Institute of Educational Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC. No. D-9891
Date 27-7-98

परियोजना अपनी रणनीति जिन सिद्धान्तों के आधार पर तैयार करता है, वे हैं :

★ **शिक्षा बदलाव का मध्यम :** बिहार शिक्षा परियोजन शिक्षा को सामाजिक बदलाव तथा विषमताओं के दूर करने का माध्यम मानती हे।

★ **सबों का साथ :** बिहार शिक्षा परियोजना वेसे सभी लोगों को साथ लेकर चलना चाहती है जो इसे सफल बनाने में मदद कर सकें।

★ **सबसे पहले शिक्षक :** शिक्षक, बिहार शिक्षा परियोजना की धुरी हैं। शिक्षकों के प्रति सम्मान तथा उनमें विश्वास, बिहार शिक्षा परियोजना अपने उद्देश्यों की पूर्त्ति के लिए आवश्यक मानती है। कोशिश यह रहती है कि ऐसी स्थितियाँ पैदा की जाएँ कि शिक्षकों में कुशलता से अपना कार्य करने की क्षमता विकसित हो।

★ **महिलाओं के प्रति समानता तथा उनका सशक्तीकरण :** महिलाओं को सशक्त करने का तात्पर्य है, ऐसे अवसर तथा स्थितियाँ पैदा करना कि औरतों को अपनी समस्याओं पर विचार करने का मौका मिले। वे अपनी दुःखद परिस्थिति पर रोष व्यक्त कर सके, तथा शिक्षा को अपनी समस्याओं के निदान के लिए सशक्त माध्यम बनाएँ।

★ **सामाजिक न्याय :** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, भूमिहीन कृषि-मजदूर आदि समाज के वंचित वर्ग, न्याय के हकदार हैं। बिहार शिक्षा परियोजना अपने कार्यक्रमों में साम्यवाद तथा सामाजिक न्याय का रवैया पैदा करना चाहती है।

★ **प्रबंधन नहीं मिशन :** बिहार शिक्षा परियोजना अपेक्षा रखती है कि इससे जुड़े लोग पारंपरिक नौकरशाही परम्परा से हटकर मिशन-भावना से काम करें।

ले मशालें चल पड़े हैं

ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के।
अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के।

पूछती हैं झोंपड़ी और पूछते हैं खेत भी
कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गाँव के।

नया सूरज अब उगेगा, देश के हर गाँव में
अब इकट्ठे हो चले हैं लोग मेरे गाँव के।

चीखती है हर रूकावट ठोकरों की मार से
बेड़ियां खनका रहे हैं लोग मरे गाँव के।

देखो यारो जो सुबह लगती थी फीकी आज तक
नया रंग उसमें भरेगें, लोग मेरे गाँव के।

ज्ञान का दीपक जलेगा, देश के हर गाँव में
रोशनी फैला रहे हैं, लोग मेरे गाँव के।।

बिन पढ़े कुछ भी यहां मिलता नहीं यह जानकर
अब पढ़ाई पढ़ रहे हैं लोग मेरे गाँव के।

ले मशालें .....